क्रम-संख्या–149

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025

भाद्रपद 7, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–4

संख्या 2704 / नौ-4–2025-05ज-2011

लखनऊ, 29 अगस्त, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0–55

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 112क और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 69ख के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 में संशोधन करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप पूर्वोक्त अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) तथा पूर्वोक्त अधिनियम, 1916 की धारा 300 की अपेक्षानुसार समस्त संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके संबध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रस्तावित नियमावली के संबंध में आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ (Email ID-nagarvikas0004@gmail.com) एवं निदेशक, नगर स्थानीय निकाय, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किए जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा, जो ई–मेल या स्पीड पोस्ट द्वारा इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर प्राप्त होंगे।

प्रारूप नियमावली

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (उन्तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (उन्तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश राज्य में समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966, (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) में,

(क) नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(एक) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य, (क) वेतनमान रूपये 8000–13500 और उससे अधिक के वेतनमान में सेवारत कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार से है, (ख) उप–खण्ड (क) में निर्दिष्ट कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के संबंध में, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 से है;	(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य (क) वेतनमान रूपये 56,100–1,77,500 ग्रेड पे0 रू0 5400/– पे0 मैट्रिक्स लेविल–10 और उससे अधिक के वेतनमान में सेवारत कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार से है, (ख) उप–खण्ड (क) में निर्दिष्ट कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के संबंध में निदेशक,स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश से है;

(ख) नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (चार) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् –

स्तम्भ–एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(चार) ''श्रेणी–एक, दो, तीन या चार की नगर पालिका परिषदों'' का तात्पर्य समय–समय पर सरकार द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट नगर पालिका परिषदों से है;	(चार) श्रेणी–एक, दो एवं तीन के नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों का तात्पर्य समय–समय पर सरकार द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों से है;

(ग) नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (पाँच) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् –

स्तम्भ–एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(पाँच) **"आयोग''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;	(पाँच) **"आयोग''** का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त गठित यथास्थिति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

नियम–3 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम–3 में,–

(क) नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (4) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(4) उत्तर प्रदेश पालिका स्वच्छता सेवा :– **(एक)** नगर निगमों के वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी। **(दो)** नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के स्वच्छता अधिकारी। **(तीन)** नगर निगमों और श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के स्वच्छता निरीक्षक । **(चार)** नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सहायक स्वच्छता निरीक्षक।	**(4) उत्तर प्रदेश पालिका स्वच्छता सेवा** **(एक)** नगर निगमों के वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी; **(दो)** नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के स्वच्छता अधिकारी; **(तीन)** नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक; **(चार)** नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के स्वच्छता निरीक्षक; **(पांच)** नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सहायक स्वच्छता निरीक्षक।

(ख) नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (10) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(10) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा सेवा :– **(एक)** श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के वरिष्ठ लेखा एवं वित्त अधिकारी। **(दो)** नगर निगमों के लेखा एवं वित्त अधिकारी। **(तीन)** श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक लेखा अधिकारी । **(चार)** नगर निगमों और श्रेणी तीन की नगर पालिका परिषदों के लेखाकार । **(पांच)** श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सहायक लेखाकार ।	**(10) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा सेवा** **(एक)** श्रेणी एक के नगर निगमों के मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी (प्रतिनियुक्ति के माध्यम से) ; **(दो)** श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के वरिष्ठ लेखा एवं वित्त अधिकारी; **(तीन)** नगर निगमों के लेखा एवं वित्त अधिकारी ; **(चार)** श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक लेखा अधिकारी ; **(पांच)** नगर निगमों और श्रेणी तीन की नगर पालिका परिषदों के लेखाकार ; **(छः)** श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सहायक लेखाकार।

नियम–4 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–4 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
4–वेतनमान–केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन विभिन्न पदों के लिये वेतनमान वे होंगे जो सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा नियत करे।	**4–वेतनमान**–(1) केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान यथास्थिति अनुसूची–एक, दो और तीन के अनुसार होगा।

नियम–5 का संशोधन

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
5– कर्मचारियों की संख्या–(1) नियम 3 के अधीन सृजित प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय। (2) पालिकाओं के अधीन ऐसे सभी वर्तमान पद, जो केन्द्रीयित सेवाओं के अन्तर्गत आते हों, इन सेवाओं के वर्तमान कर्मचारियों की संख्या होगी। (3) पालिका को केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन वर्तमान पदों में से किसी पद को अथवा किसी ऐसे पद को जो भविष्य में सृजित किया जाय, समाप्त करने का अधिकार न होगा।	**5– पदों की संख्या**–(1) नियम–3 के अधीन सृजित केन्द्रीयित सेवा और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या ऐसी होगी जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। (2) पालिकाओं के अधीन ऐसे सभी विद्यमान पद, जो केन्द्रीयित सेवाओं के अन्तर्गत आते हों, इन सेवाओं के वर्तमान पदों की संख्या होगी। (3) अपरिहार्यता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्वीकृत पदों को कार्यकारी आदेशों के माध्यम से समय–समय पर राज्यपाल द्वारा जैसा कि वह उचित समझें, उपान्तरित किया जा सकेगा।

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
	(4) सेवाओं की संख्या और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उप नियम के अधीन उनमें परिवर्तन करने वाला आदेश पारित नहीं कर दिया जाता, अनुसूची दो के अनुसार होगी।
	(5) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।
	(6) पालिका को केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन वर्तमान पदों में से किसी पद को अथवा किसी ऐसे पद को जो भविष्य में सृजित किया जाय, समाप्त करने का अधिकार न होगा।

नियम–6 का संशोधन

6–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–6 के उप नियम–एक के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
6– भर्ती के स्रोत, वर्तमान अधिकारियों और सेवकों का संविलयन और उनकी सेवा की समाप्ति–(1) उप नियम(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,– (एक) अनुसूची-एक में उल्लिखित पद नियम 20 में निर्धारित रीति से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, (दो) अनुसूची-दो में उल्लिखित पद इस नियमावली के भाग–पांच में निर्धारित रीति से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे, (तीन) अनुसूची-तीन में उल्लिखित पद ऊपर उल्लिखित दोनों स्रोतों और रीति से बराबर-बराबर संख्या में भरे जायेंगे किन्तु अवशिष्ट पद, यदि कोई हो, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा जायगा: प्रतिबन्ध यह है कि यदि, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के लिये इस उप नियम के अधीन अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो कमी की पूर्ति उक्त दो स्रोतों में से किसी भी स्रोत से की जा सकती है अथवा सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति करके अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है:	**6– भर्ती के स्रोत**– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:– (1) **अनुसूची-एक** में उल्लिखित पद नियम–20 में निर्धारित रीति से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, (2) **अनुसूची-दो** में उल्लिखित पद भाग–पाँच में निर्धारित रीति से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे; (3) **अनुसूची-तीन** में उल्लिखित पद ऊपर उल्लिखित दोनों स्रोतों और रीति से बराबर-बराबर संख्या में भरे जायेंगे किन्तु अवशिष्ट पद, यदि कोई हो, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा जायगा: परन्तु यह कि यदि, यथास्थिति, पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के लिये इस उप नियम के अधीन अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो कमी की पूर्ति उक्त दो स्रोतों में से किसी भी स्रोत से की जा सकती है अथवा सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति करके अस्थायी नियुक्ति की जा सकती है।

नियम–7 का संशोधन

7–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–7 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
7–आरक्षण– अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 के अनुसार होगा।	**7– आरक्षण**–अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों/वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, अभ्यर्थियों के भर्ती के समय प्रवृत्त अधिनियमों/शासनादेशों के अनुसार होगा।

8– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–9 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम–9 का संशोधन

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
9– **आयु**–केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष के, जिसमें भर्ती किया जाय, अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो: प्रतिबन्ध यह है कि– (1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका अथवा राज्य सरकार में सेवा की हो, अधिकतम आयु सीमा से 05 वर्ष अधिक होगी। (2) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार होता, जिसमें कोई चयन नहीं किया गया हो तो वह अपनी आयु के आधार पर अपने अनुवर्ती चयन में उपस्थित होने के लिए हकदार समझा जायेगा। (3) अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष अधिक होगी। (4) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है, यदि वह उचित व्यवहार के हित में या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे।	9– **आयु**–केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष के, जिसमें भर्ती किया जाय, अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो: परन्तु यह कि– (1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका अथवा राज्य सरकार में सेवा की हो, अधिकतम आयु सीमा से 05 वर्ष अधिक होगी। (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष अधिक होगी। (3) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है, यदि वह उचित व्यवहार या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे।

9–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–12 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम–12 का संशोधन

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
12– अर्हताएं–केन्द्रीयित सेवाओं के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी की ऐसी अर्हतायें होनी चाहिये जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।	**12– अर्हताएं**– (1) केन्द्रीयित सेवाओं के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित अर्हतायें होनी चाहिए। (2) वर्तमान में लागू अर्हतायें यथास्थिति अनुसूची–एक, दो और तीन के अनुसार होंगी।

10–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–15 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– नियम–15 का संशोधन

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
15– रिक्तियों की संख्या की सूचना देना–सरकार उस वर्ष की जुलाई में जिसमें भर्ती की जानी हो आयोग को भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या की और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या की भी, यदि कोई हो, सूचना देगी।	**15– रिक्तियों की संख्या की सूचना देना**–सरकार उस वर्ष की जुलाई में जिसमें भर्ती की जानी हो, आयोग को भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या की और नियम–7 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य वर्गों/श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या की भी, यदि कोई हो, सूचना देगी।

नियम–16 का संशोधन

11– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–16 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
16– प्रार्थना-पत्र– (क) केन्द्रीयित सेवाओं में भर्ती के लिये प्रार्थना-पत्र आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे और वे नियत प्रपत्र में दिये जायेंगे जो आयोग के सचिव से भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा वे ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे जो नियत किया जाय।	**16– आवेदन-पत्र**– (1) केन्द्रीयित सेवाओं में भर्ती के लिये आवेदन–पत्र आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे और विनिर्दिष्ट समय के भीतर आयोग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विहित प्रपत्र पर आयोग को प्रस्तुत किये जायेंगे।
(ख) केन्द्रीयित सेवाओं में पहले से सेवायोजित अभ्यर्थी अपने प्रार्थना-पत्र उचित माध्यम से सरकार को प्रस्तुत करेंगे जो उन्हें अपनी आवधिक रिपोर्ट सहित आयोग को भेज देगी।	(2) केन्द्रीयित सेवाओं में पूर्व से सेवायोजित अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र उचित माध्यम से आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

नियम–20 का संशोधन

12–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–20 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
20– पदोन्नति– (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पदक्रम के सभी पात्र अधिकारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, की जायेगी, और इस प्रयोजन के लिये अधिकारियों की एक पात्रता-सूची उपनियम (2) में दी गयी रीति में तैयार की जायेगी।	**20– पदोन्नति**– (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से उसी केन्द्रीयित सेवा के ठीक निम्न पदक्रम के समस्त पात्र अधिकारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर किन्तु अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, की जायेगी, और इस प्रयोजन के लिये अधिकारियों की एक पात्रता-सूची उपनियम (2) में दी गयी रीति में तैयार की जायेगी।
(2) उपनियम (7) में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सरकार ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी जिसे पात्रता-सूची कहा जायेगा, जिसमें यथासम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम होंगे–	(2) उपनियम (7) में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सरकार ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी जिसे पात्रता-सूची कहा जायेगा, जिसमें यथासम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम होंगे–
1 से 5 रिक्तियों के लिए– रिक्तियों की संख्या का दो गुना, किन्तु कम से कम 5,	*1 से 5 रिक्तियों के लिए*– रिक्तियों की संख्या का दो गुना, किन्तु कम से कम 5,
5 से अधिक रिक्तियों के लिए– रिक्तियों की संख्या का डेढ़($1^{1/2}$)गुना, किन्तु कम से कम 10:	*5 से अधिक रिक्तियों के लिए*– रिक्तियों की संख्या का डेढ़($1^{1/2}$)गुना, किन्तु कम से कम 10:

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जानी हो, तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूचियां तैयार की जायेंगी। ऐसे मामलों में, भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता-सूची तैयार करते समय पात्रता-सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगीः–	परन्तु यह कि यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जानी हो, तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूचियां तैयार की जायेंगी। ऐसे मामलों में, भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता-सूची तैयार करते समय पात्रता-सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगीः–
(क) द्वितीय वर्ष के लिए– उक्त अनुपात के अनुसार जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा,	(क) द्वितीय वर्ष के लिए– उक्त अनुपात जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगा,
(ख) तृतीय वर्ष के लिए– उक्त अनुपात के अनुसार जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगाः	(ख) तृतीय वर्ष के लिए– उक्त अनुपात के अनुसार संख्या जिसमें प्रथम और द्वितीय वर्षों की रिक्तियों की संख्या को जोड़ दिया जायेगाः
परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो प्रथमदृष्टया पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझे जायें, उक्त अनुपात की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और इस आशय की एक टिप्पणी कि उन पर इस प्रकार विचार नहीं किया गया, उनके नाम के सामने लिख दी जायेगी।	परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो प्रथमदृष्टया पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझे जायें, उक्त अनुपात की गणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा और इस आशय की एक टिप्पणी कि उन पर इस प्रकार विचार नहीं किया गया, उनके नाम के सामने लिख दी जायेगी।
स्पष्टीकरण–इस नियम में 'रिक्तियों की संख्या' का तात्पर्य एक वर्ष में होने वाली मौलिक या अस्थायी रिक्तियों की कुल संख्या से है।	**स्पष्टीकरण**–इस नियम में 'रिक्तियों की संख्या' का तात्पर्य एक वर्ष में होने वाली मौलिक या अस्थायी रिक्तियों की कुल संख्या से है।
(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः–	(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट चयन समिति निम्नवत होगी :–
(क) वर्ग-एक और वर्ग-दो के पदों पर प्रोन्नति की स्थिति में,–	(क) वर्ग-एक और वर्ग-दो के पदों पर पदोन्नति की स्थिति में,–
(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग..... ..... अध्यक्ष	(एक) नगर विकास विभाग में सरकार के यथास्थिति सचिव, प्रमुख सचिव अथवा अपर मुख्य सचिव..... अध्यक्ष;
(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग, या उनका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो ..... सदस्य	(दो) कार्मिक विभाग में सरकार के यथास्थिति सचिव, प्रमुख सचिव अथवा अपर मुख्य सचिव, या उनका नाम निर्देशिती, जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का हो.....सदस्य;
(तीन) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश ..... सदस्य	(तीन) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश ..... सदस्य;
(चार) यदि उपखण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो उक्त जातियों या वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को	(चार) यदि उपखण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के न हो तो उक्त जातियों या वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व न हो के एक अधिकारी को

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों में से कम से कम उस पद से जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ..... सदस्य	नगर विकास विभाग में सरकार के सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा ऐसे अधिकारियों में से कम से कम उस पद से जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, एक वेतनमान उच्च पद पर हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा..... सदस्य;
(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न पदों पर पदोन्नति की स्थिति में,–	(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न पदों पर पदोन्नति की स्थिति में,–
(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग या उनका नाम निर्देशिती जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर का हो ..... अध्यक्ष	(एक) निदेशक, स्थानीय निकाय ..... अध्यक्ष;
(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो ..... सदस्य	(दो) नगर विकास विभाग में सरकार के यथास्थिति सचिव, प्रमुख सचिव अथवा अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो .....सदस्य;
(तीन) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश ..... सदस्य	(तीन) कार्मिक विभाग में सरकार के यथास्थिति सचिव, प्रमुख सचिव अथवा अपर मुख्य सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का हो .....सदस्य;
(चार) यदि उपखण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनूसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो उक्त जातियों या वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों में से जो कम से कम उस पद से जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, एक वेतनमान उच्च पद पर हो, को नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ..... सदस्य।	(चार) यदि उपखण्ड (एक) से (तीन) में निर्दिष्ट अधिकारी अनूसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के न हो तो उक्त जातियों या वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को नगर विकास विभाग में सरकार के यथास्थिति सचिव, प्रमुख सचिव अथवा अपर मुख्य सचिव द्वारा ऐसे अधिकारियों में से जो कम से कम उस पद से जिसके लिए चयन समिति गठित की जानी है, से एक वेतनमान उच्च पद पर हो, को नाम निर्दिष्ट किया जायेगा .....सदस्य।
(4) (एक) सरकार चयन समिति की बैठक के लिये दिनांक नियत करेगी;	(4) (एक) चयन समिति का अध्यक्ष चयन समिति की बैठक के लिये दिनांक नियत करेगा ;
(दो) जहां चयन समिति यह आवश्यक समझे कि पात्रता-सूची में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उसके द्वारा किया जाना चाहिए तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है;	(दो) जहां चयन समिति यह आवश्यक समझे कि पात्रता-सूची में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उसके द्वारा किया जाना चाहिए तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है;
(तीन) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थी की चरित्र-पंजी पर विचार करेगी और किसी अन्य तथ्य पर विचार कर सकती है, जो उसकी राय में सुसंगत हो।	

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(5) चयन समिति ज्येष्ठता-क्रम में दो सूचियां तैयार करेगी, अर्थातः–	(तीन) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थी की चरित्र-पंजी पर विचार करेगी और किसी अन्य तथ्य पर विचार कर सकती है, जो उसकी राय में सुसंगत हो।
सूची "क" – इसमें मौलिक रिक्तियों के प्रति स्थायी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगे,	(5) चयन समिति ज्येष्ठता-क्रम में दो सूचियां तैयार करेगी, अर्थातः–
सूची "ख" – इसमें अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम होंगेः	*सूची "क"*– इसमें मौलिक रिक्तियों के प्रति स्थायी नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम अन्तर्विष्ट होंगे,
परन्तु यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जाये तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के संबंध में चयन उस वर्ष के लिए तैयार की गयी पात्रता-सूची से किया जायेगा।	*सूची "ख"*–इसमें अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों के नाम अन्तर्विष्ट होंगेः परन्तु यह कि यदि भर्ती एक से अधिक वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के लिए की जाये तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के संबंध में चयन उस वर्ष के लिए तैयार की गयी पात्रता-सूची से किया जायेगा।
(6) (क) (एक) *सूची "क"* में सम्मिलित अभ्यर्थी मौलिक रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों, नियम 21 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त किये जायेंगे,	(6) (क) (एक) *सूची "क"* में सम्मिलित अभ्यर्थी मौलिक रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची में आये हों, नियम 21 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त किये जायेंगे,
(दो) *सूची "क"* में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये मौलिक रिक्तियां तुरन्त उपलब्ध न हों, उक्त क्रम में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उन अभ्यर्थियों पर जो *सूची "ख"* में सम्मिलित हों अधिमान देकर नियुक्त किये जायेंगे,	(दो) *सूची "क"* में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये मौलिक रिक्तियां तुरन्त उपलब्ध न हों, उक्त क्रम में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उन अभ्यर्थियों पर जो *सूची "ख"* में सम्मिलित हों अधिमान देकर नियुक्त किये जायेंगे,
(तीन) *सूची "क"* में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के नाम जिनके लिए उस वर्ष के दौरान, जिनके लिए उनका चयन किया गया हो, मौलिक रिक्तियां उपलब्ध नहीं की जा सकतीं, वर्ष के अन्त में अनुवर्ती वर्ष में रिक्त होने वाली मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिए अग्रेनीत किये जायेंगे या अनुवर्ती वर्ष के लिए तैयार और अनुमोदित की गयी *सूची "क"* के, यदि कोई हो, शीर्ष पर अन्तरित कर दिये जायेंगे;	(तीन) *सूची "क"* में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थियों के नाम जिनके लिए उस वर्ष के दौरान, जिनके लिए उनका चयन किया गया हो, मौलिक रिक्तियां उपलब्ध नहीं की जा सकतीं, वर्ष के अन्त में अनुवर्ती वर्ष में रिक्त होने वाली मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्ति के लिए अग्रेनीत किये जायेंगे या अनुवर्ती वर्ष के लिए तैयार और अनुमोदित की गयी *सूची "क"* के, यदि कोई हो, शीर्ष पर अन्तरित कर दिये जायेंगे;
(ख) खण्ड(क) के उपखण्ड (दो) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, *सूची "ख"* में सम्मिलित अभ्यर्थी उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची में आए हों, अस्थायी रिक्तियों के प्रति *सूची "क"* के निःशेषित होने के पश्चात् नियुक्त किये जायेंगे। उन्हें मौलिक नियुक्ति के प्रति भी नियुक्त किया जा सकता है किन्तु अस्थायी आधार पर। यदि किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि *सूची "ख"* से नियुक्त किसी अधिकारी ने	(ख) खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, *सूची "ख"* में सम्मिलित अभ्यर्थी उसी क्रम में, जिसमें उनके नाम सूची में आए हों, अस्थायी रिक्तियों के प्रति *सूची "क"* के निःशेषित होने के पश्चात् नियुक्त किये जायेंगे।

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो ऐसे अधिकारी को उस पद पर जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, बिना कोई कारण बताये, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।	उन्हें मौलिक नियुक्ति के प्रति भी नियुक्त किया जा सकता है किन्तु अस्थायी आधार पर। यदि किसी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि *सूची "ख"* से नियुक्त किसी अधिकारी ने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो ऐसे अधिकारी को उस पद पर जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, बिना कोई कारण बताये, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
(7) यदि किसी मामले में पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो, और नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम् पात्र अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिए स्पष्टतः उचित समझे और जहाँ कोई अधिक्रमण अन्तर्वलित न हो तो वह प्रस्ताव को तुरन्त अनुमोदित कर सकता है। उस स्थिति में किसी चयन समिति के गठन की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थियों के संबंध में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से चुन लिए गये हैं।	(7) यदि किसी मामले में पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो, और नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम् पात्र अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिए स्पष्टतः उपयुक्त समझे और जहाँ कोई अधिक्रमण अन्तर्वलित न हो तो वह प्रस्ताव को तुरन्त अनुमोदित कर सकता है। उस स्थिति में किसी चयन समिति के गठन की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थियों के संबंध में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से चुन लिए गये हैं।

नियम–28 का निकाला जाना

13–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–28 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
28– दक्षता–रोक पार करने के लिए मापदंड–(1) केन्द्रीयित् सेवाओं के किसी सदस्य को प्रथम दक्षता–रोक पार करने की तब तक अनुमति न दी जायगी, जब तक उसके संबंध में यह न पाया जाय कि उसने संतोषजनक रूप से और अपनी पूरी योग्यता से कार्य किया है तथा उसकी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे प्रमाणित न कर दी जाय। (2) केन्द्रीयित सेवाओं के किसी सदस्य को द्वितीय तथा अनुवर्ती दक्षता-रोक पार करने की तब तक अनुमति न दी जायगी जब तक कि वह अपने कार्य, आचरण, सत्यनिष्ठा तथा योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट न कर दे। (3) केन्द्रीयित् सेवाओं के सदस्यों को दक्षता–रोक पार करने की अनुमति का आदेश सरकार द्वारा जारी किया जायेगा।	**28**– निकाल दिया गया।

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(4) प्रत्येक अवसर पर जब किसी कर्मचारी को ऐसी दक्षता-रोक पार करने की अनुमति दी जाय, जिस पर वह पहले रोक लिया गया हो, तो दक्षता–रोक पार करने के दिनांक से उसका वेतन समय-मान में ऐसे प्रक्रम पर निश्चित किया जायेगा जो उसे मिलता, यदि वह दक्षता–रोक पर रोक न लिया गया होता।	

14–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–31 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम–31 का निकाला जाना

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
31–तदर्थ एवं अस्थायी स्थानापन्न नियुक्तियां– नियम 21 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार मौलिक या अस्थायी रूप से रिक्त होने वाले पदों पर तदर्थ नियुक्तियां कर सकती है या अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था कर सकती है।	**31**–निकाल दिया गया।

15–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–37 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :– नियम 37 का संशोधन

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
37–अनुशासनिक कार्यवाहियां– (1) ऐसे उपान्तरों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार समय-समय पर करे, अनुशासनिक कार्यवाही, दण्ड के विरुद्ध अपील और अभ्यावेदन संबंधी नियम जो सरकारी सेवकों पर लागू हैं सेवा के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू होंगे। (2) केन्द्रीयित् सेवा के अधिकारियों पर कोई बड़ा या छोटा दंड आरोपित करने के लिये राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी होगी: प्रतिबन्ध यह है कि कोई छोटा दंड देने की शक्ति भी नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष या नगर निगम के मुख्य नगराधिकारी में निहित होगी: अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्रीयित् सेवाओं के ऐसे अधिकारियों पर जिनके संबंध में नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई है, बड़ा या छोटा दण्ड देने की शक्ति भी स्थानीय निकाय निदेशक में निहित होगी: प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी ऐसे अधिकारी के संबंध में पदच्युत् करने या सेवा से हटाने या पदावनत करने का कोई आदेश देने के पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।	**37–अनुशासनिक कार्यवाहियां**– (1) ऐसे उपान्तरों के अध्यधीन जो राज्य सरकार समय-समय पर करे, अनुशासनिक कार्यवाही, दण्ड के विरुद्ध अपील और अभ्यावेदन संबंधी नियम जो सरकारी सेवकों पर लागू हैं सेवा के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू होंगे। (2) केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों पर कोई वृहद या लघु दंड आरोपित करने के लिये यथास्थिति सरकार अथवा निदेशक, नगरीय निकाय सक्षम प्राधिकारी होंगे: परन्तु यह कि केन्द्रीयित सेवाओं के ऐसे अधिकारियों पर जिनके संबंध में नियुक्त करने की शक्ति सरकार द्वारा निदेशक, नगर निकाय निदेशालय को प्रत्यायोजित की गई है, दीर्घ या लघु दण्ड देने की शक्ति भी उनमें निहित होगी: परन्तु यह और कि किसी ऐसे अधिकारी के संबंध में पदच्युत् करने या सेवा से हटाने या पदावनत करने का कोई आदेश देने के पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा। (3) केन्द्रीयित सेवा के किसी अधिकारी को निलम्बित करने की शक्ति का प्रयोग केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(3)[केन्द्रीयित् सेवा के किसी अधिकारी को निलम्बित करने की शक्ति का प्रयोग केवल नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायगा।]	
(4) ऐसे मामलों में जिसमें उपर्युक्त उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार अध्यक्ष या मुख्य नगराधिकारी द्वारा किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी हो, और जांच के पूरा होने के पश्चात् वह इस अन्तःकालीन निश्चय पर पहुंचे कि पदच्युत् करने या सेवा से हटाने या पदावनत करने का दण्ड देना आवश्यक है, तो वह उस को अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ सरकार को अन्तिम आदेश के लिये अभिदिष्ट करेगा।	

नियम–48 का संशोधन

16–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम–48 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
48–व्यावृत्ति–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, इस संबंध में जिनके लिए सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों और नियम–7 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।	**48–व्यावृत्ति**–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, इस संबंध में जिनके लिए सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों और नियम–7 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य वर्गों/श्रेणियों के नागरिकों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अनुसूची–एक का संशोधन

17–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दी गयी विद्यमान अनुसूची–एक के स्थान पर स्तम्भ–दों में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–एक

(विद्यमान अनुसूची)

अनुसूची–एक

नियम 6(1) (एक)

उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक सेवा	(एक) नगर निगमों के अपर नगर आयुक्त। (दो) नगर निगमों के संयुक्त नगर आयुक्त। (तीन) नगर निगमों के उप नगर आयुक्त और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी लेवल-।। (चार) श्रेणी तीन की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी लेवल-।।।

स्तम्भ–दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)

अनुसूची–एक

[नियम 4,6 (1) (एक) और 12 देखें]

पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद

क्र0	पदनाम	वेतनमान	अर्हकारी सेवा
1	नगर निगमों के अपर नगर आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 ग्रेड पे 8700 (रू0123100-रू0 215900)	संयुक्त नगर आयुक्त, उप एवं सहायक नगर आयुक्त के रूप में कुल **16 वर्ष** की सेवा, जिसमें से न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा संयुक्त नगर आयुक्त के पद पर अनिवार्य होगी।

स्तम्भ–एक

(विद्यमान अनुसूची)

अनुसूची–एक

नियम 6(1) (एक)

उत्तर प्रदेश पालिका स्वास्थ्य सेवा	(एक) नगर निगमों के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) (दो) नगर निगमों के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 (एलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी)
उत्तर प्रदेश पालिका स्वच्छता सेवा	(एक) नगर निगमों के वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी। (दो) नगर निगमों और श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के स्वच्छता निरीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका सिविल अभियंत्रण सेवा	(एक) नगर निगमों के मुख्य अभियंता (सिविल)। (दो) नगर निगमों के अधीक्षण अभियंता (सिविल)। (तीन) नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अभियंता (सिविल)।
उत्तर प्रदेश पालिका यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण सेवा	(एक) श्रेणी एक के नगर निगमों के अधीक्षण अभियंता (यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण)। (दो) नगर निगमों के अधिशासी अभियंता (यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण)।
उत्तर प्रदेश पालिका विद्युत और यांत्रिक अभियंत्रण सेवा	(एक) श्रेणी एक के नगर निगमों के मुख्य अभियंता (**विद्युत** एवं यांत्रिक)। (दो) श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के अधीक्षण अभियंता (**विद्युत** एवं यांत्रिक)। (तीन) श्रेणी एक और दो के नगर निगमों के अधिशासी अभियंता (**विद्युत** एवं यांत्रिक)।
उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा सेवा	(एक) श्रेणी एक के नगर निगमों के मुख्य नगर लेखा परीक्षक लेवल-I । (दो) श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के मुख्य नगर लेखा परीक्षक लेवल II । (तीन) नगर निगमों के वरिष्ठ लेखा परीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका लिपिकीय सेवा	(एक) नगर निगमों के कार्यालय अधीक्षक । (दो) श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के वरिष्ठ सहायक। (तीन) श्रेणी दो की नगर पालिका परिषदों के वरिष्ठ लिपिक।
उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व सेवा	(एक) श्रेणी एक के नगर निगमों के मुख्य राजस्व निर्धारण अधिकारी। (दो) श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के वरिष्ठ राजस्व निर्धारण अधिकारी। (तीन) नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के राजस्व अधीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका लेखा सेवा	(एक) श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के वरिष्ठ लेखा एवं वित्त अधिकारी। (दो) श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक लेखा अधिकारी। (तीन) नगर निगमों और श्रेणी तीन की नगर पालिका परिषदों के लेखाकार।

स्तम्भ–दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)

अनुसूची–एक

[नियम 4,6 (1) (एक) और 12 देखें]

पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद

क्र0	पदनाम	वेतनमान	अर्हकारी सेवा
2	नगर निगमों के संयुक्त नगर आयुक्त।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड पे 7600 (रू. 78,800-रू. 209200)	न्यूनतम **03 वर्ष** की सेवा पूर्ण कर चुके उप नगर आयुक्त या समकक्ष पदों से।
3	नगर निगमों के उप नगर आयुक्त और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी लेवल-।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू.208700)	**05 वर्ष** की सेवा पूर्ण कर चुके सहायक नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी श्रेणी–2 के पदों से।
4	श्रेणी तीन की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी लेवल-III	वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 ग्रेड पे 4600 (रू. 44900-रू. 142400)	07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत के पदों से।
5	नगर निगमों के वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके स्वच्छता अधिकारियों से।
6	नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 ग्रेड पे 4600 (रू. 44900-रू. 142400)	05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके स्वच्छता निरीक्षकों में से।
7	नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के स्वच्छता निरीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 ग्रेड पे 4200 (रू. 35400-रू. 112400)	10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके सहायक स्वच्छता निरीक्षकों में से।
8	नगर निगमों के मुख्य अभियंता (सिविल)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 ग्रेड पे 8700 (रू.123100-रू. 215900)	सहायक अभियंता हेतु निर्धारित अर्हता धारण करने वाले ऐसे अधीक्षण अभियंताओं में से जो सहायक, अधिशासी तथा अधीक्षण अभियंता के रूप में कुल 18 वर्ष की सेवा, जिसमें से 03 वर्ष की सेवा अधीक्षण अभियंता के रूप में अनिवार्यतः पूर्ण करते हों।
9	नगर निगमों के अधीक्षण अभियंता (सिविल)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड पे 7600 (रू. 78,800-रू. 209200)	सहायक अभियंता हेतु निर्धारित अर्हता धारण करने वाले ऐसे अधिशासी अभियंताओं में से जो अधिशासी तथा सहायक अभियंता के रूप में कुल 15 वर्ष की सेवा जिसमें से 05 वर्ष की सेवा अधिशासी अभियंता के रूप में अनिवार्यतः पूर्ण करते हों।

स्तम्भ–एक (विद्यमान अनुसूची) अनुसूची–एक नियम 6(1) (एक)		स्तम्भ–दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची) **अनुसूची–एक** [नियम 4,6 (1) (एक) और 12 देखें] **पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद**			
		क्र0	**पदनाम**	**वेतनमान**	**अर्हकारी सेवा**
उत्तर प्रदेश पालिका पशु कल्याण सेवा	(एक) प्रधान पशु कल्याण अधिकारी। (दो) श्रेणी एक के नगर निगमों के मुख्य पशु कल्याण अधिकारी। (तीन) श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के वरिष्ठ पशु कल्याण अधिकारी।	10	नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अभियंता (सिविल)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	ऐसे सहायक अभियंताओं में से जो 07 वर्ष की अर्हकारी सेवा सहायक अभियंता के रूप में पूर्ण करते हों।
उत्तर प्रदेश पालिका उद्यान सेवा	(एक) नगर निगमों के वरिष्ठ उद्यान अधिकारी। (दो) श्रेणी एक के नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के उद्यान अधीक्षक।	11	श्रेणी एक के नगर निगमों के अधीक्षण अभियंता (यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड पे 7600 (रू. 78,800-रू. 209200)	सहायक अभियंता हेतु निर्धारित अर्हता धारण करने वाले ऐसे अधिशासी अभियंताओं में से जो अधिशासी तथा सहायक अभियंता के रूप में कुल 15 वर्ष की सेवा जिसमें से 05 वर्ष की सेवा अधिशासी अभियंता के रूप में अनिवार्यतः पूर्ण करते हों।
उत्तर प्रदेश पालिका पर्यावरण सेवा	(एक) श्रेणी एक के नगर निगमों के अधीक्षण अभियंता (पर्यावरण)। (दो) श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के अधिशासी अभियंता (पर्यावरण)।	12	नगर निगमों के अधिशासी अभियंता (यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	ऐसे सहायक अभियंताओं में से जो 07 वर्ष की अर्हकारी सेवा सहायक अभियंता के रूप में पूर्ण करते हों।
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन सेवा	(एक) श्रेणी एक के नगर निगमों के वरिष्ठ नगर नियोजक। (दो) श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के नगर नियोजक।	13	श्रेणी एक के नगर निगमों के मुख्य अभियंता (**विद्युत** एवं यांत्रिक)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 ग्रेड पे 8700 (रू. 123100-रू. 215900)	सहायक अभियंता हेतु निर्धारित अर्हता धारण करने वाले ऐसे अधीक्षण अभियंताओं में से जो सहायक, अधिशासी तथा अधीक्षण अभियंता के रूप में कुल 18 वर्ष की सेवा, जिसमें से 03 वर्ष की सेवा अधीक्षण अभियंता के रूप में अनिवार्यतः पूर्ण करते हों।
		14	श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के अधीक्षण अभियंता (**विद्युत** एवं यांत्रिक)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड पे 7600 (रू. 78,800-रू. 209200)	सहायक अभियंता हेतु निर्धारित अर्हता धारण करने वाले ऐसे अधिशासी अभियंताओं में से जो अधिशासी तथा सहायक अभियंता के रूप में कुल 15 वर्ष की सेवा जिसमें से 05 वर्ष की सेवा अधिशासी अभियंता के रूप में अनिवार्यतः पूर्ण करते हों।
		15	श्रेणी एक और दो के नगर निगमों के अधिशासी अभियंता (**विद्युत** एवं यांत्रिक)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	ऐसे सहायक अभियंताओं में से जो 07 वर्ष की अर्हकारी सेवा सहायक अभियंता के रूप में पूर्ण करते हों।
		16	श्रेणी एक के नगर निगमों के मुख्य नगर लेखा परीक्षक लेवल-I।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड पे 7600 (रू. 78,800-रू. 209200)	03 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके मुख्य नगर लेखा परीक्षक लेवल-II से।

स्तम्भ–एक
(विद्यमान अनुसूची)
अनुसूची–एक
नियम 6(1) (एक)

स्तम्भ–दो
(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)

अनुसूची-एक

(नियम 4, 6 (1) (एक) और 12 देखें)

पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद

क्र0	पदनाम	वेतनमान	अर्हकारी सेवा
17	श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के मुख्य नगर लेखा परीक्षक लेवल II	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके नगर लेखा परीक्षक से ।
18	नगर निगमों के वरिष्ठ लेखा परीक्षक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 ग्रेड पे 4200 (रू. 35400-रू. 112400)	07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके लेखा परीक्षक से।
19	नगर निगमों के कार्यालय अधीक्षक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 ग्रेड पे 4200 (रू. 35400-रू. 112400)	02 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके वरिष्ठ सहायकों में से।
20	श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के वरिष्ठ सहायक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-05 ग्रेड पे 2800 (रू. 29200-रू. 92300)	03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके वरिष्ठ लिपिकों में से।
21	श्रेणी दो की नगर पालिका परिषदों के वरिष्ठ लिपिक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-04 ग्रेड पे 2400 (रू. 25500-रू. 81100)	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों में से जिन्होनें भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
22	श्रेणी एक के नगर निगमों के मुख्य राजस्व निर्धारण अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड पे 7600 (रू. 78,800-रू. 209200)	03 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके वरिष्ठ राजस्व निर्धारण अधिकारी से।
23	श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के वरिष्ठ राजस्व निर्धारण अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके राजस्व निर्धारण अधिकारी से।
24	नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के राजस्व अधीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-07 ग्रेड पे 4600 (रू. 44900-रू. 142400)	07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके राजस्व निरीक्षक से।
25	श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के वरिष्ठ लेखा एवं वित्त अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	06 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके लेखा एवं वित्त अधिकारी से।
26	श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक लेखा अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 ग्रेड पे 4800 (रू. 47600-रू. 151700)	08 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके लेखाकार से।
27	नगर निगमों और श्रेणी तीन की नगर पालिका परिषदों के लेखाकार।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 ग्रेड पे 4200 रू. 35400-रू. 112400	07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके सहायक लेखाकार से।

स्तम्भ–एक
(विद्यमान अनुसूची)
अनुसूची–एक
नियम 6(1) (एक)

स्तम्भ–दो
(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)
अनुसूची–एक
[नियम 4,6 (1) (एक) और 12 देखें]
पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद

क्र0	पदनाम	वेतनमान	अर्हकारी सेवा
28	प्रधान पशु कल्याण अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 ग्रेड पे 8700 (रू. 123100-रू. 215900)	मुख्य पशु कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ पशु कल्याण अधिकारी तथा पशु कल्याण अधिकारी पर कुल 18 वर्ष की सेवा जिसमें 03 वर्ष की सेवा मुख्य पशु कल्याण अधिकारी पर अनिवार्य होगी।
29	श्रेणी एक के नगर निगमों के मुख्य पशु कल्याण अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड पे 7600 (रू. 78,800-रू. 209200)	05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके वरिष्ठ पशु कल्याण अधिकारी से।
30	श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के वरिष्ठ पशु कल्याण अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके पशु कल्याण अधिकारी से।
31	नगर निगमों के वरिष्ठ उद्यान अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके उद्यान अधिकारी से।
32	श्रेणी एक के नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के उद्यान अधीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 ग्रेड पे 4800 (रू. 47600-रू. 151700)	07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके उद्यान निरीक्षक से।
33	श्रेणी एक के नगर निगमों के अधीक्षण अभियंता (पर्यावरण)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड पे 7600 (रू. 78,800-रू. 209200)	ऐसे अधिशासी अभियंताओं में से जो अधिशासी तथा सहायक अभियंता के रूप में कुल 15 वर्ष की सेवा जिसमें से 05 वर्ष की सेवा अधिशासी अभियंता के रूप में अनिवार्यतः पूर्ण करते हों।
34	श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों के अधिशासी अभियंता (पर्यावरण)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके सहायक अभियंता से।
35	श्रेणी एक के नगर निगमों के वरिष्ठ नगर नियोजक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड पे 7600 (रू. 78,800-रू. 209200)	05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके नगर नियोजक से।
36	श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के नगर नियोजक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 ग्रेड पे 6600 (रू. 67700-रू. 208700)	07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके सहायक नगर नियोजक से।

18—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ—एक में दी गयी विद्यमान अनुसूची—दो के स्थान पर स्तम्भ—दो में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थातः— अनुसूची—दो का संशोधन

स्तम्भ—एक

(विद्यमान अनुसूची)

अनुसूची—दो

नियम 6(1) (दो)

उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक सेवा	नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका स्वास्थ्य सेवा	नगर निगमों के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II (एलोपैथिक/ होम्योपैथिक/ आयुर्वेदिक/यूनानी)
उत्तर प्रदेश पालिका स्वच्छता सेवा	नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सहायक स्वच्छता निरीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका पशु कल्याण सेवा	नगर निगमों और श्रेणी दो की नगर पालिका परिषदों के पशु कल्याण अधीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका सिविल अभियंत्रण सेवा	नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अवर अभियंता (सिविल)।
उत्तर प्रदेश पालिका विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवा	नगर निगमों के अवर अभियंता (**विद्युत** एवं यांत्रिक)।
उत्तर प्रदेश पालिका यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण सेवा	नगर निगमों के सहायक अभियंता (यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण)।
उत्तर प्रदेश पालिका उद्यान सेवा	श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों और श्रेणी दो की नगर पालिका परिषदों के उद्यान निरीक्षक
उत्तर प्रदेश पालिका जनसम्पर्क सेवा	नगर निगमों के जनसम्पर्क अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका लेखा सेवा	श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के सहायक लेखाकार।

स्तम्भ—दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)

अनुसूची—दो

[नियम 4,6 (1) (दो) और 12 देखें]

पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पद

क्र0	पदनाम	वेतनमान	शैक्षिक योग्यता
1	नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 ग्रेड पे 4200 (रू0 35400—रू0 112400)	**अर्हता**—स्नातक उपाधि। परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जायेगा।
2	नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के सहायक स्वच्छता निरीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-05 ग्रेड पे 2800 (रू029200—रू0 92300)	सेनिटेशन/पर्यावरण में 03 वर्षीय डिप्लोमा।
3	नगर निगमों और श्रेणी दो की नगर पालिका परिषदों के पशु कल्याण अधीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 ग्रेड पे 4200 (रू0 35400—रू0 112400)	विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी/डिप्लोमा इन लाइव स्टॉक एक्सटेंशन अथवा समकक्ष।
4	नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अवर अभियंता (सिविल)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 ग्रेड पे 4200 (रू035400—रू0 112400)	डिप्लोमा (सिविल इंजीनियरिंग) **अधिमानी अर्हता**- सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि।
5	नगर निगमों के अवर अभियंता (**विद्युत** एवं यांत्रिक)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 ग्रेड पे 4200 (रू0 35400—रू0 112400)	डिप्लोमा (इलेक्ट्रीकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग) **अधिमानी अर्हता**- इलेक्ट्रीकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी डिसीप्लीन में स्नातक।
6	नगर निगमों के सहायक अभियंता (यातायात एवं परिवहन अभियंत्रण)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100—रू0 177500)	ट्रैफिक एण्ड ट्रान्सपोर्ट में परास्नातक उपाधि **अथवा** मास्टर्स इन प्लानिंग (ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग)
7	श्रेणी दो और तीन के नगर निगमों और श्रेणी दो की नगर पालिका परिषदों के उद्यान निरीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-06 ग्रेड पे 4200 (रू0 35400—रू0 112400)	हॉर्टीकल्चर/एग्रीकल्चर/इन्वायर मेन्ट में स्नातक उपाधि।

स्तम्भ–एक

(विद्यमान अनुसूची)

अनुसूची–दो

नियम 6(1) (दो)

उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा सेवा	नगर निगमों के लेखा परीक्षक ।
उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व सेवा	नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के राजस्व निरीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका पर्यावरण सेवा	नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के सहायक अभियंता (पर्यावरण)।
उत्तर प्रदेश पालिका नगर नियोजन सेवा	नगर निगमों और श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक नगर नियोजक।

स्तम्भ–दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)

अनुसूची–दो

[नियम 4,6 (1) (दो) और 12 देखें]

सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पद

क्र0	पदनाम	वेतनमान	शैक्षिक योग्यता
8	नगर निगमों के जन सम्पर्क अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से मास कम्युनिकेशन / जर्नलिज्म विषय के साथ स्नातक।
9	श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के सहायक लेखाकार।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-05 ग्रेड पे 2800 (रू0 29200–रू0 92300)	स्नातक (वाणिज्य) अथवा पी0जी0 डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी 'ओ' लेवल प्रमाण–पत्र अनिवार्य।
10	नगर निगमों के लेखा परीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-05 ग्रेड पे 2800 (रू0 29200–रू0 92300)	स्नातक (वाणिज्य) अथवा पी0जी0 डिप्लोमा इन एकाउन्टेंसी 'ओ' लेवल प्रमाण–पत्र अनिवार्य।
11	नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के राजस्व निरीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-05 ग्रेड पे 2800 (रू0 29200–रू0 92300)	विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से वाणिज्य / अर्थशास्त्र / गणित / सांख्यकी विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष।
12	नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के सहायक अभियंता (पर्यावरण)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	इन्वायरमेंटल / कैमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा इन्वायरमेन्टल साईंस में परास्नातक अथवा एम प्लान (इन्वायरमेन्ट)।
13	नगर निगमों और श्रेणी एक और दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक नगर नियोजक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग में डिग्री अथवा स्नात्कोत्तर डिप्लोमा।
14	श्रेणी-तीन की नगर पालिका परिषदों के कनिष्ठ लिपिक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-03 ग्रेड पे 2000 (रू0 21700–रू0 69100)	(1)माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। (3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सीसीसी का प्रमाण–पत्र।

अनुसूची– तीन का संशोधन

19–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दी गयी विद्यमान अनुसूची–तीन के स्थान पर स्तम्भ–दो में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–एक

(विद्यमान अनुसूची)

अनुसूची–तीन

नियम 6(1) (तीन)

उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक सेवा	नगर निगमों के सहायक नगर आयुक्त और श्रेणी दो की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी लेवल-।।
उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व सेवा	नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के राजस्व निर्धारण अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका सिविल अभियंत्रण सेवा	नगर निगमों और श्रेणी एक एवं दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक अभियंता (सिविल)।
उत्तर प्रदेश पालिका विद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवा	नगर निगमों के सहायक अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक)।
उत्तर प्रदेश पालिका लेखा सेवा	नगर निगमों के लेखा एवं वित्त अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका लिपिकीय सेवा	श्रेणी तीन की नगर पालिका परिषदों के कनिष्ठ लिपिक।
उत्तर प्रदेश पालिका स्वच्छता सेवा	नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के स्वच्छता अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका पशु कल्याण सेवा	नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के पशु कल्याण अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका उद्यान सेवा	नगर निगमों के उद्यान अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा सेवा	नगर निगमों के नगर लेखा परीक्षक।

स्तम्भ–दो

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)

अनुसूची–तीन

[नियम 4,6 (1) (तीन) और 12 देखें]

पदोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों माध्यमों से बराबर–बराबर से भरे जाने वाले पद

क्र0	**पदनाम**	**वेतनमान**	**अर्हकारी सेवा**
1	नगर निगमों के सहायक नगर आयुक्त और श्रेणी दो की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी लेवल-।।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	**(एक)–50 प्रतिशत** पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से **सीधी भर्ती द्वारा।** **अर्हता**–विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उपाधि अथवा समकक्षः परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जायेगा, जब वे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में **''ओ''** स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। **(दो)– 50 प्रतिशत** पद **05 वर्ष** की सेवा पूर्ण कर चुके अधिशासी अधिकारी श्रेणी–3 के पदों से पदोन्नति द्वारा।
2	नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के राजस्व निर्धारण अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	**(एक)–50 प्रतिशत** पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से **सीधी भर्ती द्वारा।** **अर्हता**– विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से वाणिज्य/ अर्थशास्त्र/ गणित/सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष। **अधिमानी अर्हता**–एम0बी0ए0 फाइनेन्स। **(दो)–50 प्रतिशत पद 05 वर्ष** की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके राजस्व अधीक्षकों से पदोन्नति द्वारा।
3	नगर निगमों और श्रेणी एक एवं दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक अभियंता (सिविल)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	**(एक)–50 प्रतिशत** पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से **सीधी भर्ती द्वारा।** **अर्हता**– सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष । **अधिमानी अर्हता-** सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी डिसीप्लिन में परास्नातक। **पदोन्नति**– **(दो)–50 प्रतिशत पद** 07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके अवर अभियंताओं में से पदोन्नति द्वारा।
4	नगर निगमों के सहायक अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक)।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	**(एक)–50 प्रतिशत** पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से **सीधी भर्ती द्वारा।** **अर्हता-** इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष **अधिमानी अर्हता**- इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी डिसीप्लिन में परास्नातक। **(दो)–50 प्रतिशत पद** 07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके अवर अभियंताओं में से पदोन्नति द्वारा।
5	नगर निगमों के लेखा एवं वित्त अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	**(एक)–50 प्रतिशत** पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से **सीधी भर्ती द्वारा।** **अर्हता**– विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/ फाईनेन्स के साथ स्नातक/सी0ए0 (चार्टेड अकाउन्टेंट), सी0एफ0ए0 (**चार्टेड फाइनेन्सियल एनालिस्ट**)। **(दो)–50 प्रतिशत पद** 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके सहायक लेखाधिकारी से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ–एक
(विद्यमान अनुसूची)
अनुसूची–तीन
नियम 6(1) (तीन)

स्तम्भ–दो
(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची)
अनुसूची–तीन
[नियम 4,6 (1) (तीन) और 12 देखें]

पदोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों माध्यमों से बराबर–बराबर से भरे जाने वाले पद

क्र0	पदनाम	वेतनमान	शैक्षिक योग्यता
6	नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के स्वच्छता अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	**(एक)–50 प्रतिशत** पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से **सीधी भर्ती द्वारा।** **अर्हता**– विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हेल्थ सेनिटेशन एवं हाईजीन/ इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग/ इनवायरमेंटल साइंस विषय के साथ स्नातक उपाधि। **(दो)–50 प्रतिशत पद** 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा।
7	नगर निगमों और श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों के पशु कल्याण अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	**(एक)–50 प्रतिशत** पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से **सीधी भर्ती द्वारा।** **अर्हता**– बी0वी0एस0सी0 एवं ए0एच0 अथवा समकक्ष। **(दो)–50 प्रतिशत पद 07 वर्ष** की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके ऐसे पशु कल्याण अधीक्षक जो बी0वी0एस0सी0 एवं ए0एच0 की डिग्री धारण करते हों, में से पदोन्नति द्वारा ।
8	नगर निगमों के उद्यान अधिकारी।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	**(एक)–50 प्रतिशत** पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से **सीधी भर्ती द्वारा।** **अर्हता**– हॉर्टीकल्चर/एग्रीकल्चर/ इन्चायरमेंट में स्नातक उपाधि। **अधिमानी अर्हता**– पी0जी0 इन हार्टीकल्चर **(दो)–50 प्रतिशत पद** 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके उद्यान निरीक्षकों से पदोन्नति द्वारा।
9	नगर निगमों के नगर लेखा परीक्षक।	वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 ग्रेड पे 5400 (रू0 56100–रू0 177500)	**(एक)–50 प्रतिशत** पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से **सीधी भर्ती द्वारा।** **अर्हता**– स्नातक (अर्थशास्त्र/वाणिज्य /फाईनेन्स, सी0ए0,सी0एफ0ए0, आई0सी0डब्लू0ए0/सी0एस0) **(दो)–50 प्रतिशत पद 07 वर्ष** की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके वरिष्ठ लेखा परीक्षकों से पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2704/IX-4–2025-05J-2011, dated August 29, 2025 :

No. 2704/IX-4–2025-05J-2011

Dated Lucknow, August 29, 2025

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of powers under Section 112A of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (Act No. 2 of 1959) and Section 69B of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (Act No. 2 of 1916) *read* with Section 21 of the Uttar Pradesh general clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) with a view to amend the Uttar Pradesh Palika (Centralised) Service Rules, 1966 are hereby published as required by sub-section (2) of Section 540 of the aforesaid Act of 1959 and Section 300 of the aforesaid Act of 1916 for the information of all concerned and with view to invite objections and suggestions in respect thereof.

Objections and suggestions, if any, with respect to the proposed rules should be sent in writing addressed to Pramukh Sachiv, Nagar Vikas Anubhag-4, Uttar Pradesh Shasan, Luckow (E-mail ID-nagarvikas0004@gmail.com) and Director, Urban Local Bodies, Lucknow. Only such Objections and suggestions shall be considered as are received by E-mail or by speed post within 07 days from the date of publication of this notification in the official *Gazette.*

DRAFT RULES

The Uttar Pradesh Palika (Centralised) Services (Twenty ninth Amendment) Rules, 2025

Short title, extent and commencement

1. (1)These rules may be called the Uttar Pradesh Palika (Centralised) Services (Twenty Ninth Amendment) Rules, 2025.

(2)They shall be applicable to all Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette.*

Amendment of rule- 2

2. In the Uttar Pradesh Palika (Centralised) Services Rules, 1966 *(hereinafter* referred to as the "said rules" in rule 2,-

(a) *For* the existing clause (i) set out in the column-I below, the clause as set out in column-II shall be *substituted* namely:-

COLUMN- I *(Existing clause)*	COLUMN- II *(Clause as hereby substituted)*
(i) Appointing Authority means, - (a) the State Government, in relation to the employees serving in the scale of pay of Rs. 8,000-13,500 and above, (b) Director of Local Bodies, Uttar Pradesh in relation to the employees other than the employees referred to in sub-clause (a).	(i) Appointing Authority means,- (a) the Government, in relation to the employees serving in the scale of pay of Rs. 56100-177500 Grade Pay Rs 5400, Pay matrix Level-10 and above; (b) Director of Local Bodies, Uttar Pradesh in relation to the employees other than the employees referred to in sub-clause (a);

(b) *For* the existing clause (iv) set out in the column-I below, the clause as set out in column-II shall be *substituted* namely:-

COLUMN- I *(Existing clause)*	COLUMN- II *(Clause as hereby substituted)*
(iv) **"**Class-I, II, III and IV Municipal Councils"means the Municipal Councils specified as such by the Government from time to time;	(iv) "Class-I, II and III Municipal Corporations and Municipal Councils"means the Municipal Corporations and Municipal Councils specified as such by the Government from time to time;

(c) *For* the existing clause (v) set out in the column-I below, the clause as set out in column-II shall be *substituted* namely:-

COLUMN- I *(Existing clause)*	COLUMN- II *(Clause as hereby substituted)*
(v) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;	(v) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission or Uttar Pradesh Subordinate Service Commission constituted by the State Government on this behalf, as the case may be;

Amendment of rule- 3

3. In the said rules, in

(a) *For* the existing clause (4) set out in the column-I below, the clause as set out in column-II shall be *substituted* namely:-

COLUMN- I *(Existing clause)*	COLUMN- II *(Clause as hereby substituted)*
(4) Uttar Pradesh Palika Sanitation Services-	(4) Uttar Pradesh Palika Sanitation Services-
(i) Senior Sanitary Officers of Municipal Corporations	(i) Senior Sanitary Officers of Municipal Corporations;
(ii) Sanitary Officers of Municipal Corporations and Class-I Municipal Councils.	(ii) Sanitary Officers of Municipal Corporations and Class-I Municipal Councils;
(iii) Sanitary Inspectors of Municipal Corporations and Class-I and II Municipal Councils.	(iii) Chief Sanitary Inspectors of Municipal Corporations and Class-I Municipal Councils;
(iv) Assistant Sanitary Inspectors of Municipal Councils and Nagar Panchayats.	(iv) Sanitary Inspectors of Municipal Corporations and Municipal Councils;
	(v) Assistant Sanitary Inspectors of Municipal Councils and Nagar Panchayats.

(b) *For* the existing clause (10) set out in the column-I below, the clause as set out in column-II shall be *substituted* namely:-

COLUMN- I *(Existing clause)*	COLUMN- II *(Clause as hereby substituted)*
(10) Uttar Pradesh Palika Accounts Service-	(10) Uttar Pradesh Palika Accounts Service-
(i) Senior Accounts and Finance Officer of Class-II and III of Municipal Corporations.	(i) Chief Accounts and Finance Officer of Class-I Municipal Corporations. (By deputation) ;
(ii) Accounts and Finance Officer of Municipal Corporations.	(ii) Senior Accounts and Finance Officer of Class-II and III Municipal Corporations;
(iii) Assistant Accounts Officer of Class-I and II Municipal Councils.	(iii) Accounts and Finance Officer of Municipal Corporations;
(iv) Accountant of Municipal Corporations and class-III Municipal Councils.	(iv) Assistant Accounts Officer of Class-I and II Municipal Councils;
(v) Assistant Accountant of class-I and II Municipal Councils and Nagar Panchayats.	(v) Accountant of Municipal Corporations and Class-III Municipal Councils;
	(vi) Assistant Accountant of Class-I and II Municipal Councils and Nagar Panchayats.

Amendment of Rule- 4

4. In the said rules, *for* the existing rule 4 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
4. Scales of pay-- The scales of pay for various posts under the Centralised Services shall be such as the Government may by order prescribe from time to time.	**4. Scales of pay-- (1)** The scales of pay admissible to the persons appointed to the various categories of posts under the Centralised Services shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) The Scales of pay at the time of commencement of these rules shall be in accordance with Schedule-I, II and III, as the case may be.

Amendment of rule- 5

5. In the said rules *for* the existing rule 5 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
5. Strength-- (1) The strength of each of the Centralised Services created under rule 3 shall be such as the Government may from time to time fix. (2)All the existing posts under the Palikas covered by the Centralised Services shall form the present strength of these Services. (3)The Palika shall have no authority to abolish any of the existing posts under the Centralised Services or any such post which may be created in future.	**5. Strength of the Posts --** (1) The strength of the Centralised Services created under rule 3 and of each category of post therein shall be such as may be determined by the Government from time to time. (2) All the existing posts under the Palikas covered by the Centralised Services shall form the present strength of these posts. (3) The Governor may, from time to time by executive orders, modify the sanctioned posts keeping in veiw the indispensaibilties and exigensies as he may think fit. (4) The strength of services and of each category of posts therein shall, until order varying the same are passed under sub rule (1) shall be in accordance with Schedule-II. (5) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he/she may consider proper. (6) The Palika shall have no authority to abolish any of the existing posts under the Centralised Services or any such post which may be created in future.

Amendment of rule- 6

6. In the said rules, *for* the existing sub rule-I of rule-6 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
6. Source of recruitment, absorption and determination of service of existing officers and servants – (1) Subject to the provisions of sub- rule (2), (i) the posts mentioned in Schedule-I shall be filled in by promotion in the manner laid down in rule 20; (ii) the posts mentioned in Schedule-II shall be filled in by direct recruitment in the manner laid down in Part-V; (iii) the posts mentioned in Schedule-III shall be filled in equally from two sources and in the manner mentioned above so, however, that the odd post, if any, shall be filled in by promotion: Provided that if suitable candidates are not available in the number required under this sub-rule for recruitment by promotion or by direct recruitment, as the case may be, the deficiency may be made good from either of the two sources or a temporary appointment may be made by deputation from amongst the officers serving under Government.	**6. Source of recruitment-** Recruitment to the various categories of the posts in the service shall be made from the following sources:- (1) The posts mentioned in Schedule-I shall be filled in by promotion in the manner laid down in rule-20. (2) the posts mentioned in Schedule-II shall be filled in by direct recruitment in the manner laid down in Part-V; (3) the posts mentioned in Schedule-III shall be filled in equally from two sources and in the manner mentioned above so, however, that the odd post, if any, shall be filled in by promotion: Provided that if suitable candidates are not available in the number required under this sub-rule for recruitment by promotion or by direct recruitment, as the case may be, the deficiency may be made good from either of the two sources or a temporary appointment may be made by deputation from amongst the officers serving under Government.

Amendment of rule- 7

7. In the said rules, *for* the existing rule 7 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
7. **Reservation**– Reservation belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens shall be in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.	7.**Reservation**– Reservation for the caindidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other Classes/categories shall be in accordance with the Acts/ Government orders in force at the time of the recruitment of candidates.

Amendment of rule- 9

8. In the said rules, *for* the existing rule 9, set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
9.Age–A candidate for direct recruitment to any post in the Centralised Services must have attained the age of 21 years and must not have attained	**9.Age**–A candidate for direct recruitment to any post in the Centralised Services must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 40 years on the

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
the age of 40 years on the first day of January next following the year in which the recruitment is made: Provided that – (i) in the case of a person who has already rendered service in any of the Centralised Services or in the Palika or State Government, the maximum age–limit shall be greater to the extent of maximum five years; (ii) a candidate, who was entitled in respect of his age to appear at a selection in any year in which no selection is made, shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear at the next following selection; (iii) the maximum age limit shall, in the case of candidates of the Scheduled Castes be greater by 5 years; (iv) the State Government may, by a general or special order, relax the maximum age-limit prescribed in this rule in favour of any candidate or class of candidates, if it considers it necessary in the interest of fair dealing or in public interest.	first day of July next following the year in which the recruitment is made: Provided that – (i) in the case of a person who has already rendered service in any of the Centralised Services or in the Palika or State Government, the maximum age–limit shall be greater to the extent of maximum five years. (ii) the maximum age limit shall, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, be greater by 5 years; (iii) the State Government may, by a general or special order, relax the maximum age-limit prescribed in this rule in favour of any candidate or class of candidates, if it considers it necessary in the interest of fair dealing or in public interest.

Amendment of rule- 12

9. In the said rules, for the existing rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
12.Qualifications– A candidate for direct recruitment to any post under the Centralised Services must possess the requisite qualifications as the State Government may specify.	**12.Qualifications**–(1) A candidate for direct recruitment to any post under the Centralised Services must possess the requisite qualifications as the State Government may specify. (2) The qualifications applicable at present shall be in accordance with Schedule-I, II and III, as the case may be.

Amendment of rule- 15

10. In the said rules, for the existing rule 15 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
15.Communication of the number of vacancies – The Government shall intimate the number of vacancies to be filled up to the Commission in July of the year in which recruitment is to be made and also the number of vacancies, if any, reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes.	**15.Communication of the number of vacancies-** The Government shall intimate the number of vacancies to be filled up, to the Commission, in July of the year in which recruitment is to be made and also the number of vacancies, if any, reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other Classes/categories of candidates under rule-7.

Amendment of rule- 16

11. In the said rules, *for* the existing rule 16 set out in Column-I below the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
16.Applications – (a) The applications for recruitment to the Centralised Services shall be invited by the Commission and shall be made on the prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment and shall be submitted within such time as may be specified. (b) Candidates already employed in the Centralised Services shall submit their applications through proper channel to the Government who shall forward them to the Commission along with their periodical reports.	**16.Applications**– (1) The applications for recruitment to the Centralised Services shall be invited and shall be submitted to the Commission on the prescribed form in accordance with the procedure established by the Commission within the specified time. (2) Candidates already employed in the Centralised Services shall submit their applications through proper channel to the Commission.

Amendment of rule- 20

12. In the said rules, *for* the existing rule 20 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
20.Promotions – (1) Recruitment by promotion shall be made through a Selection Committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst all eligible officers of the next lower grade of the same Centralised Service and for purpose, an eligibility list of officers shall be prepared in the manner laid down in sub-rule (2). (2) Except as otherwise provided in sub-rule (7), the Government shall prepare a list to be called the eligibility list of senior most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion:- *for 1 to 5 vacancies* – twice the number of vacancies subject to a minimum of 5; *for over 5 vacancies* – 1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10: Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year, separate eligibility list will be prepared in respect of each year. In such a case while preparing eligibility list for the second and subsequent years, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be – *(a)for the second year* – the said proportion *plus* the number of vacancies in the first and second years;	**20.Promotions** – (1) Recruitment by promotion shall be made through a Selection Committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst all eligible officers of the next lower grade of the same Centralised Service and for this purpose, an eligibility list of officers shall be prepared in the manner laid down in sub-rule (2). (2) Except as otherwise provided in sub-rule (7), the Government shall prepare a list to be called the eligibility list of senior most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion:- *for 1 to 5 vacancies* – twice the number of vacancies subject to a minimum of 5; *for over 5 vacancies* – 1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10: Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year, separate eligibility list will be prepared in respect of each year. In such a case while preparing eligibility list for the second and subsequent years, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be – *(a)for the second year* – the said proportion *plus* the number of vacancies in the first and second years;

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
(b) for the third year – the number according to the said proportion *plus* the number of vacancies for the first and second years : Provided further that candidates, who are not considered suitable *prima facie* for promotion, shall not be taken into account in calculating the said proportion, and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names. **Explanation** – In the rule "the number of vacancies" means the total number of substantive or temporary vacancies occurring during a year.	*(b) for the third year* – the number according to the said proportion *plus* the number of vacancies for the first and second years : Provided further that candidates, who are not considered suitable *prima facie* for promotion, shall not be taken into account in calculating the said proportion, and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names. **Explanation** – In this rule, the term "the number of vacancies" means the total number of substantive or temporary vacancies occurring during a year.
(3) The Selection Committee referred to in sub-rule (1) shall—	(3) The Selection Committee referred to in sub-rule (1) shall be as follows: —
(a) in the case of promotion to class-I and class II posts, be constituted as under-	(a) in the case of promotion to Class-I and Class II posts, be constituted as under,-
(i) the Secretary to the State Government in the Urban Development Department - *Chairman*	(i) the Secretary/the Principal Secretary or the Additional Chief Secretary as the case may be, to the Government in the Urban Development Department - *Chairperson;*
(ii) the Secretary to the State Government in the Personnel Department, or his nominee , not below the rank of a Joint Secretary -*Member*	(ii) the Secretary/ the Principal Secretary or the Additional Chief Secretary as the case may be, Government in the Personnel Department, or his nominee, not below the rank of a Special Secretary - *Member;*
(iii) the Director, Local Bodies, Uttar Pradesh - *Member*	(iii) the Director, Local Bodies, Uttar Pradesh - *Member;*
(iv) if the officers referred to in sub-clauses (i) to (iii) do not belong to the Scheduled Castes or other Backward Classes, one officer each belonging to the said castes or classes, as are not representing, shall be nominated by the Secretary to the State Government in the Urban Development Department from amongst the officers who are at least one scale higher to the post for which Selection Committee is to be constituted— *Member;*	(iv) if the officers referred to in sub-clauses (i) to (iii) do not belong to the Scheduled Castes or other Backward Classes, one officer each belonging to the said castes or classes, as are not representing, shall be nominated by the Secretary/Principal Secretary or Additional Chief Secretary to the State Government in the Urban Development Department from amongst the officers who are at least one scale higher to the post for which Selection Committee is to be constituted— *Member.*
	(b) in the case of promotion to the posts other than those referred to in clause

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
(b) in the case of promotions to the posts other than those referred to in clause (a), be constituted as under—	(a), be constituted as under,—
(i) the Secretary to the State Government in the Urban Development Department or his nominee, not below the rank of a Special Secretary - *Chairman*	(i) the Director, Local Bodies- *Chairperson*;
(ii) an officer, nominated by the Secretary to the State Government in the Personnel Department, not below the rank of a Joint Secretary- *Member*	(ii) an officer, nominated by the Secretary/ the Principal Secretary or the Additional Chief Secretary, as the case may be, to the Government in the Urban Development Department, not below the rank of a Joint Secretary- *Member* ;
(iii) the Director, Local Bodies, Uttar Pradesh - *Member*	(iii) an officer, nominated by the Secretary, the Principal Secretary or the Additional Chief Secretary, as the case may be, to the Government in the Personnel Department, not below the rank of a Joint Secretary- *Member;*
(iv) if the officers referred to sub-clauses (i) to (iii) do not belong to the Scheduled Castes or other Backward Classes, one officer each belonging to the said castes or classes, as are not representing, shall be nominated by the Secretary to the State Government in the Urban Development Department from amongst the officers who are at least one scale higher to the post for which Selection Committee is to be constituted— *Member.*	(iv) if the officers referred to sub-clauses (i) to (iii) do not belong to the Scheduled Castes or other Backward Classes, one officer each belonging to the said castes or classes, as are not representing, shall be nominated by the Secretary, Principal Secretary or Additional Principal Secretary to the Government in the Urban Development Department from amongst the officers who are at least one scale higher to the post for which Selection Committee is to be constituted— *Member.*
(4) (i) The Government shall fix a date or dates for the meeting of the Selection Committee;	(4) (i) The Chairperson of the Selection Committee shall fix a date or dates for the meeting of the Selection Committee;
(ii) Where the Selection Committee considers it necessary that candidates on the eligibility list be interviewed by it, may also interview the candidates:-	(ii) Where the Selection Committee considers it necessary that candidates on the eligibility list be interviewed by it, it may also interview the candidates;
(iii) The Selection Committee shall in each case consider the character rolls of the candidate and may consider any other factor found relevant in its opinion.	(iii) The Selection Committee shall, in each case, consider the character rolls of the candidate and may consider any other factor found relevant in its opinion.
(5)The Selection Committee shall prepare two lists in order of seniority, namely: —	(5)The Selection Committee shall prepare two lists in order of seniority, namely: —
List 'A' – Containing names of candidates recommended for permanent appointment against substantive vacancies,	*List 'A'* – containing names of candidates recommended for permanent appointment against substantive vacancies,
List 'B' – Containing names of candidates recommended for temporary or officiating appointments:	*List 'B'* – containing names of candidates recommended for temporary or officiating appointments:
Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurred in more than one year, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year.	Provided that if recruitment is to be made for vacancies occuring in more than one year, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year.
(6) (a) (i) Candidates included in *List 'A'* shall be appointed under sub-rule (1) of rule 21 against substantive vacancies in the order in which their names appear in the list,	(6) (a) (i) Candidates included in *List 'A'* shall be appointed under sub-rule (1) of rule 21 against substantive vacancies in the order in which their names appear in the list;

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
(ii) Candidates included in *List* '*A*' for whom substantive vacancies are not immediately available, shall be appointed in the said order, against temporary or officiating vacancies in preference to those included in *List 'B'*,	(ii) Candidates included in *List* '*A*' for whom substantive vacancies are not immediately available, shall be appointed in the said order, against temporary or officiating vacancies in preference to those included in *List 'B';*
(iii) The names of the candidates included in *List* '*A*' for whom substantive vacancies cannot be found during the year for which their selection was made shall at the end of the year be carried over for appointment against the substantive posts falling vacant in the subsequent year or shall be transferred to the top of *List* '*A'*, if any, prepared and approved for the subsequent year;	(iii) The names of the candidates included in *List* '*A*' for whom substantive vacancies cannot be found during the year for which their selection was made, shall at the end of the year, be carried over for appointment against the substantive posts falling vacant in the subsequent year or shall be transferred to the top of *List* '*A'*, if any, prepared and approved for the subsequent year;
(b) Subject to the provisions of sub-clause (ii) of clause (a), candidates included in *List 'B'* shall be appointed in the order in which their names appear in the list against temporary vacancies after *List 'A'* is exhausted. They may be appointed even against substantive vacancies but on temporary basis. If at any time it appears to the appointing authority that an officer appointed from *List 'B'* has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, such officer may be reverted to the post from which he was promoted without assigning any reason.	(b) Subject to the provisions of sub-clause (ii) of clause (a), candidates included in *List 'B'* shall be appointed in the order in which their names appear in the list against temporary vacancies after *List 'A'* is exhausted. They may be appointed even against substantive vacancies but on temporary basis. If at any time it appears to the appointing authority that an officer appointed from *List 'B'* has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, such officer may be reverted to the post from which he was promoted without assigning any reason.
(7) If in any case the number of vacancies to be filled by promotion is small and the appointing authority considers the senior most eligible candidate or candidates clearly fit for promotion and also where no supersession is involved, he may approve the proposal straightaway. In that case no Selection Committee need be constituted and the candidates so approved shall be deemed to have been duly selected for promotion.	(7) If in any case the number of vacancies to be filled by promotion is small and the appointing authority considers the senior most eligible candidate or candidates clearly fit for promotion, and also where no supersession is involved, he may approve the proposal straightaway. In that case no Selection Committee need be constituted and the candidates so approved shall be deemed to have been duly selected for promotion.

Omission of rule- 28

13.In the said rules, for the existing rule 28, as set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *subsitituted*, namely:—

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
28.Criteria for crossing efficiency bars–(1) No member of the Centralised Services shall be allowed to cross the first efficiency bar unless he is found to have worked satisfactorily and to the best of his ability and his integrity is certified to be above suspicion. (2) No member of the Centralised Services shall be allowed to cross the second and subsequent efficiency bars unless he has given full satisfaction by his work, conduct, integrity and ability. (3) Orders allowing the members of the Centralised Services to cross the efficiency bars shall be issued by the Government. (4) On each occasion on which an employee is allowed to cross an efficiency bar which had previously been enforced against him, his pay with effect from the date of crossing the bar shall be fixed in the time-scale at such stage as he would have reached had he not been held up at the bar.	**28.*Omitted*.**

Omission of rule- 31

14. In the said rules, for the existing rule 31, as set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *subsitituted*, namely: —

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
31.*Ad hoc* and temporary officiating appointments– Notwithstanding anything contained in rule 21, the State Government may also make *ad hoc* appointments or temporary officiating arrangements for the posts falling vacant substantively or temporarily.	**31.*Omitted.***

Amendment of rule- 37

15. In the said rules, for the existing rule 37, as set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *subsitituted*, namely:-

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
37.Disciplinary Proceedings – (1) Subject to such modifications as the Government may make from time to time, the rules regarding disciplinary proceedings, appeals and representations against punishments, as are applicable to the Government Servants shall apply to the officers and other employees of the Service.	**37.Disciplinary Proceedings**– (1) Subject to such modifications as the Government may make from time to time, the rules regarding disciplinary proceedings, appeals and representations against punishments, as are applicable to the Government Servants shall apply to the officers and other employees of the service.

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
(2) The authority competent to impose any punishment, major or minor, on the officers of the Centralised Services shall be the State Government: Provided that the power to inflict any minor punishment shall also vest in the President of the Municipal Board or the Mukhya Nagar Adhikari of the Nagar Nigam: Provided further that the power to inflict major or minor punishment on the officers of Centralised Services in respect of whom power of appointment has been delegated to him by State Government, shall also vest in the Director of Local bodies: Provided also that it shall be necessary to consult the Commission before passing an order for the dismissal or removal from service or reduction in rank in respect of any such officer. (3) The power to suspend an officer of the Centralised Services shall be exercised by the appointing authority only. (4) In case where the disciplinary proceedings against an officer have been started by the President or Mukhya Nagar Adhikari in accordance with the provisions of sub-rule (2) above; and after the completion of enquiry he comes to a provisional conclusion that a penalty of dismissal or removal from service or reduction in rank is required, he shall refer the case along with his findings and recommendations to the Government for final orders.	(2) The authority competent to impose any punishment, major or minor, on the officers of the Centralised Services shall be the Government or the Director of Local Bodies, as the case may be: Provided that the power to inflict major or minor punishment on the officers of Centralised Services in respect of whom power of appointment has been delegated to the Director, Local Bodies by the Government, shall also vest in him: Provided further that it shall be necessary to consult the Commission before passing an order for the dismissal or removal from service or reduction in rank in respect of any such officer. (3) The power to suspend an officer of the Centralised Services shall be exercised by the appointing authority only.

16. In the said rules, for the existing rule 48, as set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *subsitituted*, namely: – Amendment of rule- 48

COLUMN- I *(Existing rule)*	COLUMN- II *(Rule as hereby substituted)*
48. Savings– Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens, in accordance with rule 7 and orders of the Government, issued in this regard from time to time.	**48. Savings**– Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes or other classes/ categories of citizens, in accordance with rule 7 and orders of the Government, issued in this regard from time to time.

Amendment of schedule-I

17. In the said rules, for the existing schedule-I, as set out in Column-I below, the schedule as set out in Column-II shall be *subsitituted*, namely:-

COLUMN-I

(Existing Schedule)

SCHEDULE-I

[(*See* Rule 6 (1)(i)]

Uttar Pradesh Palika Administration Service–

(i) Additional Municipal Commissioner of Municipal Corporations.

(ii) Joint Municipal Commissioner of Municipal Corporations.

(iii) Deputy Municipal Commissioner of Municipal Corporations and Executive Officer LVL -I of Class- I Municipal Councils.

(iv) Executive Officer LVL-III of Class III Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Health Services–

(i) Senior Medical Officer of Municipal Corporations (Allopathic).

(ii) Medical Officer Grade-I of Municipal Corporations (Allopathic/Homeopathic/Ayurvedic / Unani).

Uttar Pradesh Palika Sanitation Service–

(i) Senior Sanitary Officer of Municipal Corporations.

(ii) Sanitary Inspector of Municipal Corporations and Class-I and II Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Civil Engineering Service–

(i) Chief Engineer (Civil) of Municipal Corporations.

(ii) Superintending Engineer (Civil) of Municipal Corporations.

(iii) Executive Engineer (Civil) of Municipal Corporations and Class-I Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Traffic and Transport Engineering Service–

(i) Superintendent Engineer (Traffic and Transportation Engineering) of Class-I Municipal Corporations.

(ii) Executive Engineer (Traffic and Transportation Engineering) U of Municipal Corporations.

Uttar Pradesh Palika Electrical and Mechanical Engineering Service–

(i) Chief Engineer (Electrical and Mechanical) of Class-I Municipal Corporations.

COLUMN- II

(Schedule as hereby substituted)

SCHEDULE-I

[(*See* Rules 4, 6(1)(i) and 12)]

(Posts to be filled by promotion)

Sl	Name of the Posts	Scale of Pay	Qualifying Service
1	Additional Municipal Commissioner of the Municipal corporations	Pay matrix Level-13 Grade Pay 8700 (Rs. 123100-Rs.215900)	Total Services of 16 years as Joint Municipal Commissioner, Deputy and Assistant Municipal Commissioner in which minimum services of 3 years on the post of Joint Municipal Commissioner shall be compulsory.
2	Joint Municipal Commissioner of the Municipal corporations	Pay matrix Level-12 Grade Pay 7600 (Rs.78800-Rs.209200)	From the post of Deputy Municipal Commissioner or equivalent posts on which completed minimum 03 years services.
3	Deputy Municipal Commissioner of the Municipal Corporations and Executive Officers of Level-I Municipal Councils	Pay matrix Level-16 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From the post of Assistant Municipal Commissioner/ Executive Officer of Class-2, completed 05 years services.
4	Executive Officers Level-III of class-III Municipal Councils.	Pay matrix Level- 07 Grade Pay 4600 (Rs.44900-Rs.142400)	From the post of Executive Officer (Nagar Panchayat) on which completed 07 years services.
5	Senior Sanitary Officers of Municipal Corporations	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From Sanitary Officers who have Completed qualifying services of 05 years.
6	Chief Sanitary Inspectors of Municipal Corporations and Class-I Municipal Councils	Pay matrix Level- 07 Grade Pay 4600 (Rs.44900-Rs. 142400)	From among the Sanitary Inspectors Completed qualifying services of 05 years.

COLUMN-I

(Existing Schedule)

SCHEDULE-I

[(*See* Rule 6 (1)(i)]

(ii) Superintending Engineer (Electrical and Mechanical) of Class-II and III Municipal Corporations.
(iii) Executive Engineer (Electrical and Mechanical) of Class-I and II Municipal Corporations.

Uttar Pradesh Palika Audit Service-

(i) Chief Municipal Officer LVL-I of Class-I Municipal Corporations.
(ii) Chief Municipal Writing Reviewer LVL-II of Class-II and III of Municipal Corporations.
(iii) Varishth Lekha Parikshak of Municipal Corporations.

Uttar Pradesh Palika Ministerial Service-

(i) Office Superintendents of the Corporation.
(ii) Senior Assistant of the Class-I Municipal Councils.
(iii) Senior Clerk of the Class-II Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Revenue Service-

(i) Chief Revenue Assessment Officer of Class-I Municipal Corporations.
(ii) Senior Revenue Assessment Officer of Class-II and III Municipal Corporations.
(iii) Revenue Superintendent of Municipal Corporations and Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Accounts Service-

(i) Senior Accounts and Finance Officer of Class-II and III of Municipal Corporations.
(ii) Assistant Accounts Officer of Class-I and II Municipal Councils.
(iii) Accountant of Municipal Corporations and Class-III Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Animal Welfare Service-

(i) Principal Animal Welfare Officer.
(ii) Chief Animal Welfare Officer of Class I Municipal Corporations.
(iii) Senior Animal Welfare Officer of Class- II and III Municipal Corporations.

COLUMN- II

(Schedule as hereby substituted)

SCHEDULE-I

[(*See* Rules 4, 6(1)(i) and 12)]

(Posts to be filled by promotion)

Sl.	Name of the Posts	Scale of Pay	Qualifying Service
7	Sanitary Inspectors of Municipal Corporations and Municipal Councils	Pay matrix Level- 06 Grade Pay 4200 (Rs.35400-Rs.112400)	From among the Assistant Sanitary Inspectors Completed qualifying services of 10 years.
8	Chief Engineers (civil) of the Municipal Corporations	Pay matrix Level-13 Grade Pay 8700 (Rs.123100-Rs.215900)	From among such Superintending Engineers having the qualifications of Assistant Engineer who have completed 18 years of the services as Assistant, Executive and Superintending Engineer in which compulsorily completed the services of 03 years as Superintending Engineer.
9	Superintending Engineers (civil) of the Municipal Corporations	Pay matrix Level-12 Grade Pay 7600 (Rs.78800-Rs.209200)	From among such Executive Engineers having the qualifications of Assistant Engineer who have completed 15 years of the services as Executive and Assistant Engineer in which compulsorily completed the services of 05 years as Executive Engineer
10	Executive Engineers (civil) of the Municipal Corporations and class-I Municipal Councils	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From among such Assistant Engineers who have completed 07 years of qualifying services as Assistant Engineer.

COLUMN-I

(Existing Schedule)

SCHEDULE-I

[(*See* Rule 6 (1)(i)]

Uttar Pradesh Palika Horticulture Service-

(i) Senior Horticulture Officer of Municipal Corporations.

(ii)Horticulture Superintendent of Class-I Municipal Corporations and Class-I Municipal Council.

Uttar Pradesh Palika Environment Service-

(i) Superintending Engineer (Environment) of Class-I Municipal Corporations.

(ii) Executive Engineer (Environment) of Class-II and III Municipal Corporations.

Uttar Pradesh Town Planning Service-

(i) Senior Town Planner of Class-I Municipal Corporations.

(ii) Town Planner of Class-II and III Municipal Corporations and Class-I Municipal Councils.

COLUMN- II

(Schedule as hereby substituted)

SCHEDULE-I

[(*See* Rules 4, 6(1)(i) and 12)]

(Posts to be filled by promotion)

Sl.	Name of the Posts	Scale of Pay	Qualifying Service
11	Superintending Engineers (Traffic and transport Engineering) of the class-I Municipal Corporations	Pay matrix Level-12 Grade Pay 7600 (Rs. 78800-Rs.209200)	From among such Executive Engineers having the qualifications of Assistant Engineer who have completed 15 years of the services as Executive and Assistant Engineer in which compulsorily completed the services of 05 years as Executive Engineer
12	Executive Engineers (Traffic and transport Engineering) of the Municipal Corporations	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From among such Assistant Engineers who have completed 07 years of qualifying services as Assistant Engineer
13	Chief Engineers (Electrical and Mechanical) of class-I Municipal Corporations	Pay matrix Level-13 Grade Pay 8700 (Rs.123100-Rs.215900)	From among such Superintending Engineers having the qualifications of Assistant Engineer who have completed 18 years of the services as Assistant, Executive and Superintending Engineer in which compulsorily completed the services of 03 years as Superintending Engineer
14	Superintending Engineers (Electrical and Mechanical) of the class-I Municipal Corporations	Pay matrix Level-12 Grade Pay 7600 (Rs.78800-Rs.209200)	From among such Executive Engineers having the qualifications of Executive and Assistant Engineer who have completed 15 years of the services as Executive and Assistant Engineer in which compulsorily completed the services of 05 years as Executive Engineer

COLUMN-I

(Existing Schedule)

SCHEDULE-I

[(*See* Rule 6 (1)(i)]

COLUMN- II

(Schedule as hereby substituted)

SCHEDULE-I

[(*See* Rules 4, 6(1)(i) and 12)]

(Posts to be filled by promotion)

Sl.	Name of the Posts	Scale of Pay	Qualifying Service
15	Executive Engineers (Electrical and Mechanical) of class-I and II Municipal Corporations	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From among such Assistant Engineers who have completed 07 years of qualifying services as Assistant Engineer
16	Chief Municipal Auditor Level-I of class-I Municipal Corporation	Pay matrix Level-12 Grade Pay 7600 (Rs.78800-Rs.209200)	From Chief Municipal Auditor level-II completed 03 years of qualifying services.
17	Chief Municipal Auditor Level-II of class-II and III Municipal Corporation	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From Municipal Auditor, completed 05 years of qualifying services
18	Senior Municipal Auditor of Municipal Corporations	Pay matrix Level- 06 Grade Pay 4200 (Rs. 35400-Rs.112400)	From Auditor, completed 07 years of qualifying services
19	Office Superintendent of Municipal Corporation	Pay matrix Level- 06 Grade Pay 4200 (Rs.35400-Rs.112400)	From among Senior Assistant, completed 07 years of qualifying services
20	Senior Assistant of class I Municipal Councils	Pay matrix Level- 05 Grade Pay 2800 (Rs.29200-Rs.92300)	From among Senior Clerk completed 03 years of services
21	Senior Clerk of class-II Municipal Councils	Pay matrix Level- 05 Grade Pay 2400 (Rs.25500-Rs.81100)	From among substantively appointed Junior Clerks who have completed at least 05 years of service as Junior Clerk.
22	Chief Revenue Assessment Officer of class-I Municipal Corporations	Pay matrix Level-12 Grade Pay 7600 (Rs.78800-Rs.209200)	From Senior Revenue Assessment Officer having completed 03 years of qualifying services

COLUMN-I

(Existing Schedule)

SCHEDULE-I

[(*See* Rule 6 (1)(i)]

COLUMN- II

(Schedule as hereby substituted)

SCHEDULE-I

[(*See* Rules 4, 6(1)(i) and 12)]

(Posts to be filled by promotion)

Sl.	Name of the Posts	Scale of Pay	Qualifying Service
23	Senior Revenue Assessment Officer of class-II and III Municipal Corporations	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From Revenue Assessment Officer having completed 05 years of qualifying services
24	Revenue Superintendents of Municipal Councils and Municipal Corporations	Pay matrix Level- 07 Grade Pay 4600 (Rs. 44900-Rs.142400)	From Revenue Inspectors having completed 07 years of qualifying services
25	Senior Accounts and Finance Officer of class-II and III Municipal Corporations	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From Accounts and Finance Officer having completed 06 years of qualifying services
26	Assistant Accounts Officer of class-I and II Municipal Councils	Pay matrix Level- 08 Grade Pay 4800 (Rs.47600-Rs.151700)	From Accountants having completed 08 years of qualifying services
27	Accountant of class-III Municipal Councils and Municipal Corporations	Pay matrix Level- 06 Grade Pay 4200 (Rs.35400-Rs.112400)	From Assistant Accountants having completed 07 years of qualifying services
28	Principal Animal Welfare Officers	Pay matrix Level-13 Grade Pay 8700 (Rs.123100-Rs.215900)	Total 18 years of service as Chief Animal Welfare Officer, Senior Animal Welfare Officer and Animal Welfare Officer where in 03 years of services as Chief Animal Welfare Officer shall be compulsory.
29	Chief Animal Welfare Officers of class-I Municipal Corporations	Pay matrix Level-12 Grade Pay 7600 (Rs.78800-Rs.209200)	From Senior Animal Welfare Officer having completed 05 years of qualifying services
30	Senior Animal Welfare Officers of class-II and III Municipal Corporations	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From Animal Welfare Officer having completed 07 years of qualifying services

COLUMN-I

(Existing Schedule)

SCHEDULE-I

[(*See* Rule 6 (1)(i)]

COLUMN- II

(Schedule as hereby substituted)

SCHEDULE-I

[(*See* Rules 4, 6(1)(i) and 12)]

(Posts to be filled by promotion)

Sl.	Name of the Posts	Scale of Pay	Qualifying Service
31	Senior Horticulture Officers of Municipal Corporations	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From Horticulture Officers of having completed 07 years of qualifying services
32	Horticulture Superintendent of class-I Municipal Councils and class-I Municipal Corporations	Pay matrix Level- 08 Grade Pay 4800 (Rs.47600-Rs.151700)	From Horticulture Inspectors of having completed 07 years of qualifying services
33	Superintending Engineer (Environment) of class-I Municipal Corporations	Pay matrix Level-12 Grade Pay 7600 (Rs.78800-Rs.209200)	From among such Executive Engineers who have completed 15 years of the services as Executive and Assistant Engineer in which compulsorily completed the services of 05 years as Executive Engineer
34	Executive Engineer (Environment) of class-II and III Municipal Corporations	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs.67700-Rs.208700)	From Assistant Engineer of having completed 07 years of qualifying services
35	Senior Town Planner of class-I Municipal Corporations	Pay matrix Level-12 Grade Pay 7600 (Rs.78800-Rs.209200)	From Town Planner having completed 05 years of qualifying services
36	Town Planner of class-I Municipal Councils and class-II and III Municipal Corporations	Pay matrix Level- 11 Grade Pay 6600 (Rs. 67700-Rs.208700)	From Assistant Town Planner having completed 07 years of qualifying services

Amendment of Schedule-II

18. In the said rules, *for* the existing schedule-II, as set out in Column-I below, the schedule as set out in Column-II shall be *subsitituted*, namely:-

COLUMN-I

(Existing Schedule)

SCHEDULE-II

[(*See* Rule 6 (1)(ii)]

Uttar Pradesh Palika Administration Service-

Executive Officers of Nagar Panchayats.

Uttar Pradesh Palika Health Services-

Medical Officer Grade-II of Municipal Corporations (Allopathic/Homeopathic/Ayurvedic/ Unani).

Uttar Pradesh Palika Sanitation Service-

Assistant Sanitary Inspector of Municipal Councils and Nagar Panchayats.

Uttar Pradesh Palika Animal Welfare Service-

Animal Welfare Superintendents of Municipal Corporations and Class-II Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Civil Engineering Service-

Junior Engineer (Civil) of Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats.

Uttar Pradesh Palika Electrical and Mechanical Engineering Service-

Junior Engineer (Electrical and Mechanical) of Municipal Corporations.

Uttar Pradesh Palika Traffic and Transportation Engineering Service-

Assistant Engineer (Traffic and Transportation Engineering) of Municipal Corporations.

Uttar Pradesh Palika Horticulture Service-

Horticulture Inspector of Class-II and Class-III Municipal Corporations and Class- II Municipal Council.

Uttar Pradesh Palika Public Relations Service-

Public Relations Officers of Corporations.

Uttar Pradesh Palika Accounts Service-

Assistant Accountant of Class-I and II Municipal Councils and Nagar Panchayats.

Uttar Pradesh Palika Audit Service-

Lekha Parishak of Municiapl Corporation.

Uttar Pradesh Palika Revenue Service-

Revenue Inspector of Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats.

COLUMN-II

(Schedule as hereby *substituted*)

SCHEDULE-II

[(*See* Rules 4, 6(1)(ii) and 12)]

(Post to be filled by Direct Recruitment)

Sl	Name of the Posts	Scale of Pay	Qualifying Service
1	Executive Officers of Nagar Panchayats	Pay matrix Level- 06 Grade Pay 4200 (Rs. 35400-Rs. 112400)	Graduate Degree. Provided that the employee appointed by direct recruitment shall be confirmed only when the 'O' level diploma in computer from any recognised institution shall be obtained by him
2	Assistant Sanitary Inspectors of Municipal Councils and Nagar Panchayat	Pay matrix Level- 05 Grade Pay 2800 (Rs. 29200-Rs. 92300)	03 years diploma in sanitation/ environment
3	Animal welfare superintendent of class-II Municipal Councils and Municipal Corporations	Pay matrix Level- 06 Grade Pay 4200 (Rs. 35400-Rs. 112400)	Diploma in veterinary pharmacy/ diploma in live stock extension or equalant from the institutions established under law recognised by the Government.
4	Junior Engineer (civil) of Municipal Councils, Municipal Corporations and Nagar Panchayats	Pay matrix Level- 06 Grade Pay 4200 (Rs. 35400-Rs. 112400)	Diploma (civil engineering) Preferential qualification- graduation in civil engineering
5	Junior Engineer (Electrical and Mechanical) of Municipal Corporations	Pay matrix Level- 06 Grade Pay 4200 (Rs. 35400-Rs. 112400)	Diploma(Electrical/ Mechanical engineering) Preferential qualification- graduation in any discipline of engineering Electrical/ Mechanical engineering
6	Assistant Engineer (Traffic and Transport engineering) of Municipal Corporations	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs. 56100-Rs. 177500)	Post graduate degree in Traffic and Transport engineering or masters in Planning (Transport Planning)

COLUMN-I
(Existing Schedule)
SCHEDULE-II
[(*See* Rule 6 (1)(ii)]

Uttar Pradesh Palika Environment Service-

Assistant Engineer (Environment) of Municipal Corporations and Class-I Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Town Planning Service-

Assistant Town Planner of Municipal Corporations and Class-I and Class-II Municipal Councils.

COLUMN-II
(Schedule as hereby *substituted*)
SCHEDULE-II
[(*See* Rules 4, 6(1)(ii) and 12)]
(Post to be filled by Direct Recruitment)

Sl	Name of the Posts	Scale of Pay	Qualifying Service
7	Horticulture Inspectors of class-II and III Municipal Corporations and class-II Municipal Councils	Pay matrix Level- 06 Grade Pay 4200 (Rs. 35400- Rs. 112400)	Graduate degree in Horticulture/ Agriculture/ environment
8	Public Relation Officers of Municipal Corporations	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs. 56100- Rs. 177500)	Graduation in Mass Communication/ Journalism from any institution recognised by the Government and established by law.
9	Assistant Account of class-I and II Municipal Councils and Nagar Panchayts	Pay matrix Level- 05 Grade Pay 2800 (Rs. 29200- Rs. 92300)	Graduate (Commerce or P.G. Diploma in accountancy, 'O' level certificate compulsory.
10	Auditor of Municipal Corporations	Pay matrix Level- 05 Grade Pay 2800 (Rs.29200- Rs. 92300)	Graduate (Commerce or P.G. Diploma in accountancy, 'O' level certificate compulsory.
11	Revenue Inspectors Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayts	Pay matrix Level- 05 Grade Pay 2800 (Rs.29200- Rs. 92300)	Graduation in Commerce/ Mathematics Economics/ Statistics or Equivalent from any institution recognised by the Government and established by law.
12	Assistant Engineer (environment) of Municipal Corporations and class-I Municipal Councils	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs. 56100- Rs. 177500)	Graduation in environment/ Chemical Engineering or Post Graduation in environmental Science or M plan (environment)
13	Assistant Town Planner of Municipal Corporations andclass-I and II Municipal Councils	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs. 56100- Rs. (177500)	Degree in Town and Country Planning from any recognised institution or Post Graduate Diploma.

COLUMN-I
(Existing Schedule)
SCHEDULE-II
[(*See* Rule 6 (1)(ii)]

COLUMN-II
(Schedule as hereby *substituted*)
SCHEDULE-II
[(*See* Rules 4, 6(1)(ii) and 12)]
(Post to be filled by Direct Recruitment)

Sl	Name of the Posts	Scale of Pay	Qualifying Service
14	Junior Clerk class-III Municipal Councils	Pay matrix Level-03 Grade Pay 2000 (Rs. 21700-Rs. 69100)	1. Have passed Intermediate Examination of Intermediate Education Board or its equivalent any recognised examination 2. 25 words per minute in Hindi and 30 words per minute in English Typing is essential 3- CCC certificate from the institution recognised by the Government.

Amendment of schedule-III

19. In the said rules, *for* the existing schedule-III, as set out in Column-I below, the Schedule as set out in Column-II shall be *subsitituted*, namely:-

COLUMN-I
(Existing Schedule)
SCHEDULE-III
[(*See* Rule 6 (1)(iii)]

Uttar Pradesh Palika Administration Service–

Assistant Municipal Commissioner of Municipal Corporations and Executive Officer LVL-II of Class-II Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Revenue Service–

Revenue Assessment Officer of Municipal Corporations and Class-1 Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Civil Engineering Service–

Assistant Engineer (Civil) of Municipal Corporations and Class-I and II of Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Electrical and Mechanical Engineering Service–

Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) of Municipal Corporations.

Uttar Pradesh Palika Accounts Service–

Accounts and Finance Officer of Municipal Corporations.

COLUMN-II
(Schedule as hereby *substituted*)
SCHEDULE-III
[*(See* Rule 4, 6(1)(iii) and 12)]
(Post to be filled Equally by Promotion and Direct Recruitment)

Sl	Posts Name	Pay Scale	Qualifying Service
1	Assistant Municipal Commissioner of the Municipal Corporations and Executive Officers Level-II of Municipal Councils	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs. 56100-Rs. 177500)	(i)**50% Post by Direct recruitment Through public service commission. Qualifications**-Graduate or equivalent degree from the institution established under law and recognised by the Government. Provided that the official appointed by direct recruitment shall be confirmed on the post when he shall obtain the 'O' level diploma in computer from the institution recognised by the Government. (ii) **50% Post byPromotion-** From the post of Executive Officer class-III having completed 05 years service.

COLUMN-I
(Existing Schedule)
SCHEDULE-III
[*See* Rule 6 (1)(iii)]

Uttar Pradesh Palika Ministerial Service–
Junior Clerk of Class-III Municipal Councils.

Uttar Pradesh Municipal Sanitation Service–
Sanitary Officer of Municipal Corporations and Class-I Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Animal Welfare Service–
Animal Welfare Officer of Municipal Corporations and Class-I Municipal Councils.

Uttar Pradesh Palika Horticulture Service–
Horticulture Officer of Municipal Corporations.

Uttar Pradesh Palika Audit Service–
Nagar Lekha Parikshak of Municipal Corporations.

COLUMN-II
(Schedule as hereby *substituted*)
SCHEDULE-III
[*See* Rule 4, 6(1)(iii) and 12]
(Post to be filled Equally by Promotion and Direct Recruitment)

Sl	Post Name	Pay Scale	Qualifying Service
2	Revenue Assessment Officer of Municipal Corporations and Class-I Municipal Councils	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs.56100-Rs.177500)	(i) **50% Post by Direct recruitment Through public service commission. Qualifications**– Graduate or equivalent degree in Commerce/ Economics/ mathematics/ Statistics subjects from the institution established under law and recognised by the Government. **Preferential Qualification**– Master of Business Administration (Finance). (ii) **50% Post by Promotion-** From the post of Revenue Superintendent having completed 05 years service.
3	Assistant Engineer (Civil) of Municipal Corporations and Class-I and II Municipal Councils	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs. 56100-Rs.177500)	(i) **50% Post by Direct recruitment Through public service commission. Qualifications**– Graduate or equivalent degree in Civil Engineering. **Preferential Qualification**– Post Graduate in any discipline of Civil Engineering. (ii) **50% Post by Promotion**– From among Junior Engineers (Civil) having completed qualifying service of 07 years.

COLUMN-I

(Existing Schedule)

SCHEDULE-III

[*See* Rule 6 (1)(iii)]

COLUMN-II

(Schedule as hereby *substituted*)

SCHEDULE-III

[*See* Rule 4, 6(1)(iii) and 12]

(Post to be filled Equally by Promotion and Direct Recruitment)

Sl	Post Name	Pay Scale	Qualifying Service
4	Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) of Municipal Corporations	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs.56100 - Rs. 177500)	(i) **50% Post by Direct recruitment Through public service commission. Qualifications**– Graduate or equivalent degree in Electrical/ Mechanical Engineering. **Preferential Qualification**– Post Graduate in any discipline of Electrical/ Mechanical Engineering. (ii) **50% Post by Promotion**– From among Junior Engineers (Electrical/ Mechanical) having completed qualifying service of 07 years.
5	Finance and Accounts Officer of Municipal Corporations	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs.56100-Rs.177500)	(i) **50% Post by Direct recruitment Through public service commission. Qualifications**– Graduate in Economics/ Commerce/ Finance/ Chartered Accountant, Chartered Financial Annalist from the institution established under law and recognised by the Government. (ii) **50% Post by Promotion**– From Assistant Accounts Officer having completed qualifying service of 05 years.

COLUMN-I
(Existing Schedule)
SCHEDULE-III
[*See* Rule 6 (1)(iii)]

COLUMN-II
(Schedule as hereby *substituted*)
SCHEDULE-III
[*See* Rule 4, 6(1)(iii) and 12]
(Post to be filled Equally by Promotion and Direct Recruitment)

Sl	Post Name	Pay Scale	Qualifying Service
6	Sanitary Officer of Municipal Corporations and class-I Municipal Councils	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs. 56100-Rs. 177500)	(i)**50% Post by Direct recruitment Through public service commission.** **Qualifications**– Graduate in Health Sanitation and Hygiene/ Environmental Engineering/ Environmental Science from the institution established under law and recognised by the Government. (ii) **50% Post by Promotion-**From Chief Sanitary Inspectors having completed qualifying service of 05 years.
7	Animal Welfare Officer of Municipal Corporations and class-I Municipal Councils	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs. 56100-Rs. 177500)	(i) **50% Post by Direct recruitment Through public service commission.** **Qualifications**– Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (BVSc &AH) or Equivalent. (ii) **50% Post by Promotion**–07 years qualifying services completed such Animal Welfare Superintendents who posses Degree of Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry (BVSc & AH).

COLUMN-I
(Existing Schedule)
SCHEDULE-III
[*See* Rule 6 (1)(iii)]

COLUMN-II
(Schedule as hereby *substituted*)
SCHEDULE-III
[*See* Rule 4, 6(1)(iii) and 12]
(Post to be filled Equally by Promotion and Direct Recruitment)

Sl	Post Name	Pay Scale	Qualifying Service
8	Horticulture Officer of Municipal Corporations	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs.56100-Rs. 177500)	(i)**50% Post by Direct recruitment Through public service commission. Qualifications**– Degree of Graduation in Horticulture/ Agriculture/ environment. **Preferential Qualification**– Post Graduate in Horticulture. (ii) **50% Post by Promotion-** From Horticulture Inspectors having completed qualifying service of 05 years.
9	Municipal Auditors in Municipal Corporations	Pay matrix Level-10 Grade Pay 5400 (Rs.56100-Rs.177500)	(i) **50% Post by Direct recruitment Through public service commission. Qualifications**– Graduation in Economics/ Commerce/ Finance, CA, CFA, ICWA/ CS. (ii) **50% Post by Promotion-** From Senior Auditors having completed qualifying service of 07 years.

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 164 राजपत्र–2025–(465)–599+50 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।